
परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग - क

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

झारखण्ड की रूपरेखा					
क. सामान्य आंकड़ा					
क्र.सं.	विवरण				आंकड़ा
1	क्षेत्रफल				79,714 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या				
	(क)	2001 की जनगणना के अनुसार			2.69 करोड़
	(ख)	2010-11			3.30 करोड़
3	(क)	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
	(ख)	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल) ² (अखिल भारतीय अनुपात = 21.9 %)				36.9 प्रतिशत
5	(क)	साक्षरता ³ (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 64.80 %)			44 प्रतिशत
	(ख)	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 73 %)			66.4 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर ⁴ 2015 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 40 प्रति 1000 जीवित जन्म)				32
7	गिनी गुणांक ⁵				
	(क)	ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.29)			0.24
	(ख)	शहरी (अखिल भारतीय = 0.38)			0.36
8	वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए वर्तमान मूल्यों पर 2015-16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)				₹ 2,53,536 करोड़
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2007-08 से 2016-17)		झारखण्ड	11.5 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य	13.2 प्रतिशत	
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2007-08 से 2016-17) ⁶		झारखण्ड	13.1 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य	14.6 प्रतिशत	
11	जनसंख्या वृद्धि ⁷ (2007-08 से 2016-17)		झारखण्ड	13.0 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य	11.9 प्रतिशत	
ख. वित्तीय आंकड़ा ¹					
क्र.सं.	विवरण		आंकड़ा (प्रतिशत में)		
	सी.ए.जी.आर.		2007-08 से 2015-16		2015-16 से 2016-17
			सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	सामान्य श्रेणी राज्य
					झारखण्ड
1.	क.	राजस्व प्राप्तियों का	14.58	16.44	11.52
2.	ख.	कर राजस्व का	14.80	16.11	13.50
3.	ग.	गैर कर राजस्व का	9.45	17.59	12.10
4.	घ.	कुल व्यय का	15.84	17.86	15.31
5.	ड.	कुल पूँजीगत व्यय का	14.53	15.46	17.91
6.	च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.86	14.29	9.86
7.	छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	18.43	21.26	14.92
8.	ज.	वेतन एवं मजदूरी का	14.89	13.50	13.06
9.	झ.	पेंशन का	17.17	21.91	10.63

¹ सेंसस इंडो इण्डिया 2011 के अंतिम कुल जनसंख्या

² आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2016-17 (अगस्त 2017), भाग. II, पृष्ठ ए 154

³ आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2016-17 (अगस्त 2017), भाग. II, पृष्ठ ए 149

⁴ आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2016-17 (अगस्त 2017), भाग. II, पृष्ठ ए 156

⁵ <http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data2312/DatabookDec2014%20106.pdf>

⁶ संख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा 01 अगस्त 2017 को जारी स.रा.घ.उ. विवरण में, वर्ष 2016-17 के आंकड़े के संबंध में, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर (बजट भाषण 2017-18), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा से संबंधित वर्ष 2016-17 के आंकड़े संगत महालेखाकार कार्यालयों से प्राप्त किए गए हैं।

⁷ केंद्र एवं राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2001-2026 (दिसम्बर 2006 पुनरीक्षित) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानन पर तकनीकी समूह का प्रतिवेदन तालिका-14 (1 अक्टूबर 2001-26 को लिंगवार अनुमानित कुल जनसंख्या)

परिशिष्ट 1.1 भाग - ख
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।

भाग 1: संचित निधि: राज्य सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपन्न जारी कर एकत्रित ऋण, आंतरिक व वाह्य कर्ज और ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी राशियाँ एक संचित निधि गठित करेंगी जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत जिसे "राज्य सरकार की संचित निधि" होगी।

भाग - 2: आकस्मिकता निधि:- राज्य सरकार के आकस्मिकता निधि संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित होती है, एक इम्प्रेस्ट की तरह की होती है जो राज्यपाल के अधिकार में रहती है जिससे कि वह आवश्यक गैर-अनुमानित खर्चों को कर सके जो विधान सभा से अनुमोदन के लिए पड़ी हो। इस तरह के खर्चों को विधानमण्डल से अनुमोदन और बराबर राशि संचित निधि से निकाला जाता है जबकि आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम वापस निधि में डाले जाते हैं।

भाग - 3: लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संचित निधि से संचित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।

भाग - ग : वित्त लेखे का अभिन्यास

विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसम्पतियों एवं दायित्वों के संचयी आंकड़ों को दर्शाता है। ये परिसम्पतियाँ सरकार की भौतिक परिसम्पतियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आंकड़ों सहित वित्तीय सम्पतियाँ हैं। लेखांकन नीति के अनुसार परिसम्पतियाँ ऐतिहासिक मूल्य को दर्शाती हैं।
विवरणी सं. 2	यह वर्ष के दौरान सरकार के कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय के संक्षिप्त विवरणी है जो सरकार के लेखे के तीन भाग - संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में संधारित किए जाते हैं।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा सरकार के उधार जो भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं से ऋण, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा लिये गये ऋण अग्रिमों के सापेक्ष पुनर्भुगतान से मिलकर बना है, शामिल है।
विवरणी सं. 4	यह कार्यात्मक एवं प्रकृति अनुसार व्यय का संक्षिप्त विवरण है।
विवरणी सं. 5	यह प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका पूर्ण योग विवरण-1 में दिया गया है।
विवरणी सं. 6	यह सरकार के उधार को प्रस्तुत करता है जिसमें बाजार ऋण एवं भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसके साथ अन्य दायित्वों जो लोक लेखा के विभिन्न खंडों में शेष है और जिसके लिए सरकार अभिरक्षक या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।
विवरणी सं. 7	यह सरकार के ऋण एवं अग्रिमों (खंड एवं उधारकर्ता के गुप के अनुसार) जिसे विवरणी-1 में दर्शाया गया है तथा जिनकी प्राप्तियाँ तथा संचित निधि को विवरण संख्या 2, 3 एवं 4 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गयी गारंटियों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा आयोजित सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। लेखा टिप्पणी भी इसके साथ शामिल रहती है।
विवरणी सं. 11	वर्ष के दौरान भारत एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरणी सं. 12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं. 13	संचित निधि आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित शेष का संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 15	यह योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग अलग लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय के लेखाओं को दर्शाता है।
विवरणी सं. 16	वर्ष 2016-17 के दौरान और अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं. 17	यह लघु शीर्षों के अनुसार उधारों का विवरण तथा उनके मैचुरिटी प्रोफाइल को दर्शाता है।
विवरणी सं. 18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2017 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 19	वर्ष 2016-17 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त, स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निकाय, सरकारी कम्पनियों, निकाय एवं अन्य संस्थाओं के ऋण इत्यादि के लिए पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखा का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली
(संदर्भ: कंडिका 1.10.2; पृष्ठ 34)

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदंडों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है, को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत तक मानते हुए, वर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर और कर-भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चरों का उत्प्लावकता गुणक को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैटर्न आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके।

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर(X)/प्राचल की वृद्धि दर(Y)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व)*2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष+ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)*2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति-विविध पूँजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व घाटा घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, 2048 शीर्ष के अन्तर्गत ऋण बचाव हेतु विनियोग से घटाव के अधीन लिखित व्यय को छोड़कर
संसाधन अंतराल	बढ़त गैर-ऋण प्राप्ति घटाव बढ़त प्राथमिक राजस्व व्यय + बढ़त ब्याज प्राप्ति

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े
(संदर्भ: कंडिका 1.3 एवं 1.9.2; पृष्ठ 9 एवं 30)

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भाग - क प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	24,770(83)	26,137(85)	31,565(83)	40,638(75)	47,054(87)
(i) कर राजस्व	8,224(33)	9,380(36)	10,350(33)	11,479(28)	13,299(28)
कृषि आय पर कर	-	-	-		
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,422(78)	7,305(78)	8,070(78)	8,999(78)	10,549(80)
राजस्व उत्पाद	578(7)	628(7)	740(7)	912(8)	962(7)
वाहनों पर कर	465(6)	495(5)	660(6)	633(6)	682(5)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	492(6)	502(5)	531(5)	532(5)	607(5)
भू-राजस्व	96(1)	230(3)	84(1)	164(1)	240(2)
माल एवं यात्रियों पर कर	1(0)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)
अन्य कर	170(2)	219(2)	264(3)	238(2)	259(2)
(ii) कर भिन्न राजस्व	3,536(14)	3,753(14)	4,335(14)	5,853(14)	5,351(11)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	8,188(33)	8,939(34)	9,487(30)	15,969(39)	19,142(41)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4,822(20)	4,065(16)	7,393(23)	7,337(18)	9,262(20)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	43	23	33	31	39
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	24,813	26,160	31,598	40,669	47,093
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,199(17)	4,703(15)	6,690(17)	13,245(25)	7,081(13)
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4,591	4,281	6,537	13,080	6,847
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	369	316	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	239	106	153	165	234
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	30,012	30,863	38,288	53,914	54,174
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	14,495	14,275	20,189	29,037	22,052
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	44,507	45,138	58,477	82,951	76,226
भाग - ख व्यय/ संवितरण					
10. राजस्व व्यय	23,400(83)	23,472(82)	31,795(83)	36,553(70)	45,089(79)
योजना	7,743(33)	6,288(27)	12,436(39)	15,793	22,194
गैर योजना	15,657(67)	17,184(73)	19,359(61)	20,760	22,895
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	8,696(37)	9,960(42)	10,624(33)	12,002	13,024
सामाजिक सेवाएँ	8,309(36)	8,215(35)	11,915(37)	14,844	18,557
आर्थिक सेवाएँ	6,395(27)	5,297(23)	9,256(29)	9,707	13,508
सहायता अनुदान एवं अंश दान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11. पूँजीगत व्यय	4,218(15)	4,722(17)	5,543(15)	8,159(16)	10,861(19)
योजना	4,151(98)	4,706(100)	5,520(100)	8087	10,814
गैर योजना	67(2)	16(0)	23(0)	72	47
सामान्य सेवाएँ	176(4)	168(3)	326(6)	571	590

सामाजिक सेवाएँ	1,030(25)	924(20)	910(16)	1024	1,532
आर्थिक सेवाएँ	3,012(71)	3,630(77)	4,307(78)	6,564	8,739
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	601(2)	222(1)	824(2)	7,480⁸ (14)	1,335(2)
13. कुल (10+11+12)	28,219	28,416	38,162	52,192	57,285
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2,183	1,997	1,880	2,246	2,078
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,525(70)	1,542(77)	1,722(92)	2,079(93)	1,920
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	520(24)	316(16)	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	138(6)	139(7)	158(8)	167(7)	158
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	30,402	30,413	40,042	54,438	59,363
17. आकस्मिकता निधि से संवितरण	-	-	-	0	0
18. लोक लेखा संवितरण	13,417	14,094	19,277	27,053	16,820
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	43,819	44,507	59,319	81,491	76,183
भाग - ग घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+)(1-10)	(+)1,370	(+)2,665	(-)230	(+)4,085	(+)1,965
21. राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य(+)(4-13)	(-)3,406	(-)2,256	(-)6,564	(-)11,523⁹	(-)10,192
22. प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य(+)(21-23)	(-)1,015	(+)358	(-)3,635	(-)8,203	(-)6,020
भाग - घ. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	2,391	2,614	2,929	3,320	4,172
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	6,950	6,422	12,404	14,891	20,332
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	13	8	0	0	3
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	13	8	0	0	3
उपमुक्त ओवरड्राफ्ट (दिन)	0	0	0	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.32	0.21	0	0	0
27. (क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	1,74,724	1,88,567	2,18,525	2,31,294	2,53,536
27 (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	1,63,250	1,65,816	1,86,534	1,97,536	2,12,721
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	34,869	37,594	43,569	56,530	66,827
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	157	157	157	157	157
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	157	157	157	157	157
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	189	328	402	195	280
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	1,972	760	1,824	2,089	4,778
भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ.वर्तमान मूल्य पर	4.7	5.0	4.8	4.7	5.2
स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ. स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	5.0	5.7	6.2	6.2	6.3
स्वयं के कर से भिन्न राजस्व/स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	2.0	2.0	2.0	2.4	2.1

⁸ इस ऋण में राज्य द्वारा उदय बॉण्ड पर लिए गये ₹ 5,553 करोड़ का ऋण भी शामिल है।

⁹ यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाये, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो राजकोषीय घाटा की राशि कम हो जायेगी।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

स्वयं के कर से भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	2.2	2.3	2.6	3.1	2.5
केंद्रीय अंतरण/स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	7.4	6.9	7.8	9.6	7.6
केंद्रीय अंतरण/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	8.0	7.8	10.2	12.5	13.4
II व्यय प्रबंध					
कुल व्यय/स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	16.2	15.1	17.6	21.6	22.6
कुल व्यय/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	17.3	17.1	23.0	28.0	26.9
कुल व्यय /राजस्व प्राप्तियाँ	113.9	108.7	120.9	128.4	121.7
राजस्व व्यय/कुल व्यय	82.9	82.6	83.3	70.0	78.7
सामाजिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	33.2	32.2	33.7	30.49	35.2
आर्थिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	35.3	32.1	37.6	45.33	41.0
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.9	16.6	14.5	15.6	19.0
सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.3	16.0	13.7	14.5	17.9
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	(+)0.9	(+)0.8	(+)1.4	(-)0.1	(+)0.8
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	(+)0.8	(+)1.6	(-)0.1	(+)2.2	(+)0.9
राजकोषीय घाटा/ स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	(-)1.9	(-)1.2	(-)3.0	(-)4.8 ¹⁰	(-)4.0
राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	(-)2.1	(-)1.4	(-)4.0	(-)6.2	(-)4.79
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	(-)0.6	(+)0.2	(-)1.7	(-)3.4	(-)2.4
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	(-)0.6	(+)0.2	(-)2.2	(-)4.4	(-)2.8
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(+)40.2	(+)118.1	(-)3.5	(-)35.5	(-)19.3
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	2.2	2.8	1.2	3.1	2.4
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	2.3	3.2	1.4	3.7	2.9
IV राजकोषीय दायित्व का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स.उ.घ.रा.वर्तमान मूल्य पर	20.0	19.9	20.1	23.4	26.4
राजकोषीय दायित्व/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	21.4	22.7	26.3	30.3	31.4
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	140.8	143.8	138.03	139.1	142.0
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	(+)1,584	(+)605	(-)658	(-)6,107	(-)7,138
ऋण निर्माचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	15.00	18	शून्य	0.47	शून्य
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	5,782	6,208	6,593	14,226	19,773
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	98	100	103	109	111

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ आंकड़े सी.एस.ओ. से प्राप्त किये गये।

(http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.asp?statijs=3&menu_id=82)

¹⁰ यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाये, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो राजकोषीय घाटा से स.रा.घ.उ. प्रतिशतता 2.5 प्रतिशत होगी।

परिशिष्ट 1.4 भाग - क
वर्ष 2016-17 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

प्राप्तियाँ		संवितरण						
2015-16		2016-17	2015-16		गैर योजना	योजना	कुल	2016-17
अनुभाग क: राजस्व								
40,638.35	I. राजस्व प्राप्तियाँ	47,053.93	36,552.83	I. राजस्व व्यय	22,895.38	22,193.66	45,089.04	45,089.04
11,478.95	कर राजस्व	13,299.25	12,002.43	सामान्य सेवाएँ	12,742.66	281.10	13,023.76	
			14,843.81	सामाजिक सेवाएँ	6,042.46	12,514.91	18,557.37	
5,853.01	कर-भिन्न राजस्व	5,351.42	6,542.46	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	3,942.32	4,035.51	7,977.83	
			1,833.38	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	897.91	1,069.78	1,967.69	
15,968.75	संघीय करों में राज्य के हिस्से	19,141.92	2,389.61	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	446.4	3,657.5	4,103.9	
			100.83	सूचना एवं प्रसारण	85.91	46.19	132.1	
1,685.82	गैर-योजना अनुदान	1,875.29	1,168.55	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	107.39	1,204.55	1,311.94	
4,950.18	राज्य योजना हेतु अनुदान	6,792.89	112.83	श्रम एवं श्रम कल्याण	52.74	78.65	131.39	
			2,671.85	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	482.63	2,422.73	2,905.36	
701.64	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	593.16	24.30	अन्य	27.16	0	27.16	
			9,706.59	आर्थिक सेवाएँ	4,110.26	9,397.65	13,507.91	
			1,474.85	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	489.05	1,717.13	2,206.18	
			4,172.79	ग्रामीण विकास	1,701.29	5,545.66	7,246.95	
			0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	
			320.30	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	315.79	6.97	322.76	
			2,204.44	उर्जा	1,200	554.63	1,754.63	
			321.48	उद्योग एवं खनिज	52.61	264.28	316.89	
			347.97	परिवहन	261.9	183.69	445.59	
			0	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0	
			864.76	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	89.62	1,125.29	1,214.91	
			0	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0	
			36,552.83	कुल	22,895.38	22,193.66	45,089.04	
0	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा	0	4,085.50	II. खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य/घाटा				1,964.90
40,638.35	कुल	47,053.93	40,638.35	कुल				47,053.93

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

अनुभाग ख									
444.21	III.आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		1904.72	0	III.रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्ट				0
	IV.विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			8,158.51	IV. पूँजीगत परिव्यय	47.05	10,813.63	10,860.68	10,860.68
				571.36	सामान्य सेवाएँ	45.41	544.2	589.61	
				1,023.41	सामाजिक सेवाएँ	1.64	1,530.38	1,532.02	
				103.39	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0	253.5	253.50	
				339.87	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	511.55	511.55	
				247.02	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1.64	353.08	354.72	
				0.55	सूचना एवं प्रसारण	0	8.85	8.85	
				234.38	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	264.04	264.04	
				88.8	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	0	116.96	116.96	
				9.4	अन्य	0	22.40	22.40	
				6,563.74	आर्थिक सेवाएँ	0	8,739.05	8,739.05	
				114.65	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0	569.31	569.31	
				1,751.54	ग्रामीण विकास	0	2,074.57	2,074.57	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	
				1,156.94	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0	1,510.91	1,510.91	
				0	उर्जा	0	0	0.00	
				1	उद्योग एवं खनिज	0	5.00	5.00	
				3,476.19	परिवहन	0	4,504.99	4,504.99	
				63.42	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0	74.27	74.27	
				6,563.74	कुल	0	8,739.05	8,739.05	
31.06	V ऋण एवं अग्रिम का वसूली	38.46	38.46	7,480.00	V ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	77.14	1,257.92	1,335.06	1,335.06
0	विद्युत परियोजना से	0		7,375.42	विद्युत परियोजना को	0	1,228.51	1,228.51	
30.34	सरकारी सेवकों से	37.20		49.64	सरकारी सेवकों को	52.46	0	52.46	
0.72	अन्य से	1.26		54.94	अन्य को	24.68	29.41	54.09	
4,085.52	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		1,964.89	0	VI.नीचे लाया गया राजस्व घाटा	0	0	0	0
13,244.65	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		7,081.42	2,245.93	VII. लोक ऋण पुनर्भुगतान				2,077.88
	बाह्य ऋण	0		2,079.42	बाह्य ऋण				
13,079.63	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	6,847.13		1,721.71	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण			1,920.39	

0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेन-देन	0		0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेन-देन			0	
0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0		0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन			0	
165.02	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	234.29		166.51	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भूगतान			157.49	
	VIII आकस्मिकता निधि से विनियोग				VIII आकस्मिकता निधि से विनियोग				
	IX आकस्मिकता निधि से राशि का स्थानांतरण				IX आकस्मिकता निधि से व्यय				
29,036.72	X लोक लेखा प्राप्ति		22,051.80	27,053.00	X लोक लेखा संवितरण				16,819.82
830.1	लघु बचत एवं भविष्य निधि	872.60		988.95	लघु बचत एवं भविष्य निधि			994.11	
521.68	रक्षित निधि	452.88		512.01	रक्षित निधि			70.13	
161.25	उचन्त एवं विविध	300.58		140.23	उचन्त एवं विविध			330.96	
8,025.01	प्रेषण	9,280.63		8,024.29	प्रेषण			9,310.76	
19,498.68	जमा एवं अग्रिम	11,145.11		17,387.52	जमा एवं अग्रिम			6,113.86	
0	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0		0	अन्तर्राज्यीय समायोजन			0	
	XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष			1,904.72	XI वर्ष के अंत का रोकड़ शेष			1,947.85	1,947.85
				0	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			0	
				-203.93	रिजर्व बैंक में जमा			502.26	
				6.41	स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			6.50	
				0	चिन्हित निधि का निवेश			0	
				2,102.24	रोकड़ शेष का निवेश			1,439.09	
87,480.51	कुल		80,095.22	87,480.51	कुल				80,095.22

परिशिष्ट 1.4 भाग - ख
31 मार्च 2017 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 29)

(₹ करोड़ में)

31.03.16 को	दायित्व	31.03.17 को
43,755.57	आन्तरिक ऋण	48,682.31
23,554.73	ब्याज वाले बाजार ऋण	28,280.21
0.07	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.07
6.30	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30
9,632.51	अन्य संस्थाओं से ऋण	10,566.90
0	अर्थोपाय अग्रिम	0
10,561.96	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	9,828.83
0	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0
2,085.49	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,162.28
0	1984-85 के पूर्व कार्य ऋण	0
21.39	गैर योजना ऋण	19.37
2,064.10	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2,142.91
500.00	आकस्मिकता निधि	500.00
1,197.17	लघु बचत भविष्य निधि	1,075.67
8,615.79	जमा	13,647.49
876.46	रक्षित निधि	1,259.21
0	अंतरण शेष	0
122.45	उचंत एवं विविध शेष	92.07
5,138.36	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति	7,103.25
69,518.75	कुल	74,522.28
	सम्पत्ति	
44,173.30	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	55,033.98
171.99	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	183.11
44,001.31	अन्य पूँजीगत परिव्यय	54,850.87
0	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0
16,186.10	ऋण एवं अग्रिम	17,482.71
15,455.02	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	16,683.53
736.65	अन्य विकास ऋण	789.48
(-)5.57	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	9.70
4.50	अग्रिम	4.94
0	उचंत एवं विविध शेष	0
1,904.72	नगद	1,947.85
0	कोषागार में नगद एवं अस्थानीय प्रेषण	0
(-)203.93	रिजर्व बैंक में जमा	502.26
0	जमा निधि का निवेश	0
6.41	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम के साथ	6.50
2,102.24	नगद शेष निवेश	1,439.09
22.67	प्रेषण शेष	52.80

0	सरकारी लेखे में घाटा		0
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य/घाटा		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के शुरुआत में संचय घाटा/आधिक्य		
62,291.29	कुल		74,522.28

निगम के लेखाओं में ₹ 5.75 करोड़ उनके स्रोत की अनुपलब्धता के कारण शामिल नहीं किये गये हैं।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित विस्तार टिप्पणी

पूर्ववर्ती विवरणियों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखा में व्याख्या और टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होता है, सरकारी लेखा में घाटा जैसा कि **परिशिष्ट 1.4 भाग - ख** में दिखाया गया है संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरीत रोकड़ आधारित स्थिति को इंगित करता है। तदन्तर, भुगतेय या प्राप्त योग्य मर्दे या भण्डार आंकड़ों में विचलन या हास वाली मर्दे, इत्यादि, लेखे में चित्रित नहीं है। उचन्त और विविध शेष में अभुगतित निर्गत चेक, अन्य लंबित समायोजन और राज्य की ओर से किया गया भुगतान सम्मिलित है।

परिशिष्ट 1.5 भाग - क

**74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5.1; पृष्ठ 22)**

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़क एवं पुल
5	घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशामक सेवा
8	नगर वानिकी, वातावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण
10	गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्नयन
12	शहरी सुविधाओं जैसे उद्यानों, बगानों और खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्य से संबंधित पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; श्मशान घाट तथा विद्युतीय शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, जानवरों पर अत्याचार से संरक्षण
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	पथ-प्रकाश, पड़ाव-स्थल, बस पड़ाव एवं लोक परिवहन सहित लोक सुविधायें
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट 1.5 भाग - ख

73^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5.2; पृष्ठ 22)

क्र.सं.	क्रियाकलाप का विवरण	हस्तांतरण की स्थिति
1	कृषि व्याप्ति सहित कृषि	आंशिक
2	भू-सुधार, भू-सुधार का कार्यान्वयन, भू-समेकन एवं मृदा संरक्षण	नहीं
3	लघु-सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल आच्छादन विकास	हाँ
4	पशुपालन, दुग्ध एवं मुर्गीपालन	आंशिक
5	मत्स्य पालन	हाँ
6	सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी	नहीं
7	लघु वन उत्पाद	नहीं
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग	आंशिक
9	खादी ग्रामोद्योग	हाँ
10	ग्रामीण आवास	नहीं
11	पेयजल	हाँ
12	ईंधन एवं चारा	नहीं
13	सड़क, पुलिया, पुल, नौकायन एवं यातायात के अन्य साधन	नहीं
14	बिजली वितरण समेत ग्रामीण विद्युतीकरण	नहीं
15	गैर-परंपरागत उर्जा स्रोत	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	आंशिक
17	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा समेत शिक्षा	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा	नहीं
19	वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा	हाँ
20	पुस्तकालय	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं
22	बाजार एवं मेले	नहीं
23	अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के साथ औषधालय समेत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ
25	महिला एवं बाल कल्याण	हाँ
26	अपंगों एवं मानसिक विक्रिप्तों के कल्याण समेत सामाजिक कल्याण	हाँ
27	कमजोर वर्ग तथा विशेषतः अ.जा. एवं अ.ज.जा. का कल्याण	नहीं
28	जन वितरण प्रणाली	हाँ
29	लोक परिसंपत्तियों का रख-रखाव	आंशिक

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जहाँ प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत या अधिक की भी बचत हुई
(संदर्भ: कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व					
1	1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,449.78	526.05	36.28
2	2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	292.83	95.59	32.64
3	4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	55.37	11.83	21.37
4	12	योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	62.40	19.47	31.20
5	17	वाणिज्यकर विभाग	71.46	19.48	27.26
6	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,515.53	394.96	26.06
7	19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	624.34	128.31	20.55
8	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2,664.64	707.26	26.54
9	23	उद्योग विभाग	445.65	153.01	34.33
10	26	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	281.43	110.77	39.36
11	29	खनन एवं भू-तत्व विभाग	49.55	20.48	41.33
12	33	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	36.08	10.67	29.57
13	35	योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	365.68	95.56	26.13
14	39	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,295.30	769.89	59.44
15	40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	525.56	161.12	30.66
16	41	पथ निर्माण विभाग	307.42	78.74	25.61
17	42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	4,723.25	1,253.45	26.54
18	45	सूचना प्रौद्योगिकी ई-गवर्नेन्स विभाग	157.62	33.94	21.53
19	46	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	49.81	10.88	21.84
20	48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	3,449.57	691.75	20.05
21	49	जल संसाधन विभाग	398.64	132.76	33.30
22	50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	95.21	31.88	33.48
23	51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,914.64	598.47	31.26
24	52	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	101.88	27.60	27.09
25	53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	79.91	21.10	26.40
26	54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	321.84	100.44	31.21
27	58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1,714.57	512.40	29.89
28	59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	6,793.64	1,358.90	20.00
29	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,178.56	763.88	24.03

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
पूँजीगत					
30	1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	551.76	116.36	21.09
31	2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	74.42	62.39	83.83
32	3	भवन निर्माण विभाग	573.62	131.99	23.01
33	9	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	48.53	34.01	70.08
34	10	ऊर्जा विभाग	1,543.25	314.49	20.38
35	11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	30.00	20.00	66.67
36	12	योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	74.40	21.94	29.49
37	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	733.07	221.52	30.22
38	22	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	253.35	64.50	25.46
39	26	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	46.82	22.55	48.16
40	30	कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	115.30	34.28	29.73
41	36	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	291.75	70.78	24.26
42	49	जल संसाधन विभाग	1,510.87	389.76	25.80
43	50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	613.46	223.66	36.46
44	51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	236.32	53.30	22.55
45	53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	89.77	38.71	43.12
46	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	265.10	148.14	55.88
कुल (राजस्व + पूँजीगत)			40,073.96	10,809.02	26.97

परिशिष्ट 2.2

**उप-शीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2016-17 के दौरान पर्याप्त बचत (₹ 20 करोड़ व उससे ज्यादा) हुई
(संदर्भ: कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 41)**

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	4402-00-796-01	202.05	33.65	कारण नहीं बताये गये हैं।
2		4402-00-796-02	120.00	34.34	कारण नहीं बताये गये हैं।
3		2401-00-796-AF	60.00	22.82	कारण नहीं बताये गये हैं।
4		2415-80-796-04	74.66	23.65	निधि की मांग नहीं।
5		2401-00-796-A0	33.60	31.21	i) भारत सरकार से निधि का आवंटन नहीं होना। (₹39.00 लाख) (ii) भारत सरकार द्वारा व्यय की कम सिफारिश (₹395.00 लाख) (iii) कारण नहीं बताये गये हैं। (₹26,86.40 लाख)
6		2401-00-796-A1	25.80	25.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
7		2401-00-796-A0	22.20	20.60	i) भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय के लिए समकक्ष निधि का आवंटन नहीं होना। (₹326.45 लाख) (ii) भारत सरकार द्वारा कम आवंटन (₹18.00 लाख) (iii) कारण नहीं बताये गये हैं। (₹1,716.00 लाख)
8	3. भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-58	94.12	29.28	कारण नहीं बताये गये हैं।
9		4059-01-051-39	36.53	36.53	कारण नहीं बताये गये हैं।
10		4216-01-700-14	30.00	18.87	कारण नहीं बताये गये हैं।
11	8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-102-07	195.07	27.41	कारण नहीं बताये गये हैं।
12	10-ऊर्जा विभाग	6801-00-800-37	414.16	67.83	आर्थिक उपाय
13		6801-00-796-37	173.68	28.45	आर्थिक उपाय
14		6801-00-201-24	80.00	80.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
15		6801-00-202-01	75.00	75.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
16		2810-00-796-02	67.50	44.17	बिल का पास नहीं होना
17		2810-00-101-02	45.00	29.45	बिल का पास नहीं होना
18		2810-00-789-02	37.50	24.54	बिल का पास नहीं होना
19		6801-00-800-34	31.00	31.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
20		2801-80-800-08	55.02	50.04	आर्थिक उपाय
21		13-ब्याज संदाय	2049-01-200-02	385.00	109.62
22	2049-01-200-14		250.00	250.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
23	2049-03-104-01		250.00	26.87	कारण नहीं बताये गये हैं।
24	2049-04-109-01		104.00	25.28	कारण नहीं बताये गये हैं।

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
25	13-ब्याज संदाय	2049-01-200-08	80.00	32.57	कारण नहीं बताये गये हैं।
26		2049-01-200-11	74.00	20.59	कारण नहीं बताये गये हैं।
27	14-ऋण की वापसी/अदायगी	2048-00-101-01	200.00	200.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
28		6004-02-105-01	125.95	20.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
29		6003-00-109-01	100.00	20.28	कारण नहीं बताये गये हैं।
30		6004-02-101-01	78.81	28.29	कारण नहीं बताये गये हैं।
31	15-पेंशन	2071-01-104-04	550.00	135.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
32		2071-01-115-03	400.00	89.82	कारण नहीं बताये गये हैं।
33		2071-01-117-03	350.00	60.56	कारण नहीं बताये गये हैं।
34		2071-01-102-04	300.00	164.26	कारण नहीं बताये गये हैं।
35		2071-01-101-09	50.00	36.35	कारण नहीं बताये गये हैं।
36		2071-01-115-02	50.00	23.61	कारण नहीं बताये गये हैं।
37		2071-01-101-05	25.00	20.58	कारण नहीं बताये गये हैं।
38	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-796-47	115.00	21.31	चीनी की आपूर्ति समय पर नहीं।
39		3456-00-796-45	65.00	65.00	योजना की अस्वीकृति
40		3456-00-102-45	60.00	60.00	योजना की अस्वीकृति
41		3456-00-789-45	25.00	25.00	योजना की अस्वीकृति
42	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-103-01	189.63	25.56	कारण नहीं बताये गये हैं।
43		2210-03-103-03	110.05	33.57	(i)निधि का अत्यधिक प्रावधान (₹16.00 करोड़) (ii) कारण असूचित (₹17.57 करोड़)
44		2210-01-102-54	70.00	70.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
45		2210-01-789-54	70.00	70.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
46		2210-01-796-54	60.00	60.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
47		2210-01-109-40	58.70	58.70	कारण नहीं बताये गये हैं।
48		4210-01-110-30	50.00	20.95	निधि का अत्यधिक प्रावधान
49		2210-01-103-56	37.00	37.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
50		2210-01-110-55	30.00	30.00	योजना की अस्वीकृति
51		2210-01-110-57	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
52		2210-01-103-56	26.00	26.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
53		2210-01-103-45	25.00	25.00	निधि का अंतरण
54		4210-01-796-35	20.00	20.00	योजना की अस्वीकृति
55	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-04	222.89	32.22	मांग की अप्राप्ति
56		2202-03-102-02	102.80	35.17	मांग की अप्राप्ति
57	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग(गृह प्रभाग)	2055-00-110-01	243.62	67.66	कारण नहीं बताये गये हैं।
58	23-उद्योग विभाग	2852-80-796-05	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
59	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	2230-03-003-51	25.00	25.00	भारत सरकार से निधि का आवंटन नहीं होना।
60		2230-03-796-51	25.00	25.00	भारत सरकार से निधि का आवंटन नहीं होना।

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
61	27 विधि विभाग	2014-00-105-01	261.48	30.70	कारण नहीं बताये गये हैं।
62	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-25	50.00	50.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
63	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-796-11	160.61	73.38	कारण नहीं बताये गये हैं।
64		2215-01-102-10	134.82	69.13	कारण नहीं बताये गये हैं।
65		4215-01-102-02	129.22	32.30	कारण नहीं बताये गये हैं।
66		4215-01-789-02	51.95	29.37	कारण नहीं बताये गये हैं।
67	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-80-800-17	540.00	540.00	निधि की मांग नहीं
68		2245-02-113-02	35.00	33.64	निधि की मांग नहीं
69		2245-01-101-02	30.00	30.00	निधि की मांग नहीं
70		2245-01-102-04	28.19	24.11	निधि की मांग नहीं(₹23.18 करोड़) कारण नहीं बताये गये हैं (₹0.93 करोड़)
71	40-राजस्व,भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2245-01-101-07	22.00	21.77	निधि की मांग नहीं
72		2245-01-282-01	20.00	20.00	निधि की मांग नहीं
73		2029-00-104-01	211.27	28.44	कारण नहीं बताये गये हैं।
74		2029-00-103-01	74.74	73.45	कारण नहीं बताये गये हैं।
75	41-पथ निर्माण विभाग	3054-03-337-01	150.00	34.19	कारण नहीं बताये गये हैं।
76		3054-01-337-01	30.00	29.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
77	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2505-02-101-04	934.92	253.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
78		2505-02-796-04	686.88	186.32	कारण नहीं बताये गये हैं।
79		2505-02-789-04	286.20	77.63	कारण नहीं बताये गये हैं।
80		2505-02-101-04	231.11	65.62	कारण नहीं बताये गये हैं।
81		2515-00-102-10	203.43	25.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
82		4515-00-796-40	190.08	33.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
83		2505-02-796-04	169.80	48.21	कारण नहीं बताये गये हैं।
84		2505-01-796-02	166.32	166.32	कारण नहीं बताये गये हैं।
85		2501-06-800-05	88.20	29.74	कारण नहीं बताये गये हैं।
86		2505-02-789-04	70.75	20.09	कारण नहीं बताये गये हैं।
87		2501-06-796-05	64.80	21.85	कारण नहीं बताये गये हैं।
88		2501-02-101-07	49.00	39.20	कारण नहीं बताये गये हैं।
89		2501-02-101-04	42.37	22.21	कारण नहीं बताये गये हैं।
90		2501-06-101-14	40.70	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
91		2501-02-796-07	36.00	28.80	कारण नहीं बताये गये हैं।

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
92	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-796-70	162.00	70.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
93		2217-80-191-81	158.93	108.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
94		2217-80-796-75	146.00	54.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
95		2217-80-191-68	97.00	41.39	(i)निधि का अत्यधिक प्रावधान (₹20.52 करोड़) (ii) कारण असूचित (₹20.87 करोड़)
96		2215-01-796-01	88.00	33.94	कारण नहीं बताये गये हैं।
97		2217-80-192-82	61.22	30.30	कारण नहीं बताये गये हैं।
98		2217-80-191-75	48.00	48.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
99		2217-80-193-83	34.27	25.12	कारण नहीं बताये गये हैं।
100		2217-80-789-89	33.54	22.53	कारण नहीं बताये गये हैं।
101		2217-80-191-65	32.00	32.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
102		2217-80-191-70	32.00	32.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
103		2217-80-796-67	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
104		2217-80-191-67	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
105		49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	185.29	56.99
106	2701-03-001-07		111.17	36.57	कारण नहीं बताये गये हैं।
107	2701-03-001-06		69.91	26.49	कारण नहीं बताये गये हैं।
108	4700-80-789-12		65.00	65.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
109	4701-80-800-71		45.00	37.01	कारण नहीं बताये गये हैं।
110	4701-80-796-62		37.00	26.57	कारण नहीं बताये गये हैं।
111	4711-01-796-58		35.00	33.03	कारण नहीं बताये गये हैं।
112	4701-80-796-63		20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
113	4701-80-800-65		20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
114	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-101-18	121.00	36.21	(i)बजट प्रावधान पर लगाए गए 15 प्रतिशत प्रतिबंध (₹35.25 करोड़) (ii) कारण असूचित (₹0.96 करोड़)
115		2702-02-005-01	95.21	31.88	कारण नहीं बताये गये हैं।
116		4702-00-101-19	53.00	45.71	कारण नहीं बताये गये हैं।
117		4702-00-796-35	36.11	33.83	कारण नहीं बताये गये हैं।
118		4702-00-796-19	35.00	27.30	कारण नहीं बताये गये हैं।
119	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-03-796-23	139.00	50.52	छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं
120		2225-03-277-12	127.56	29.28	कारण नहीं बताये गये हैं।
121		2225-02-796-59	115.00	23.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
122		2225-02-796-28	101.00	101.00	छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं
123		2225-02-277-04	83.98	26.83	कारण नहीं बताये गये हैं।
124		2225-01-789-59	58.00	23.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
125		2225-02-796-11	41.50	24.13	कारण नहीं बताये गये हैं।
126		2225-02-796-89	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
127		2225-02-796-90	26.00	26.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
128		2225-02-277-65	24.50	24.46	कारण नहीं बताये गये हैं।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
129	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-102-41	1,131.00	38.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
130		2515-00-001-28	125.00	53.11	कारण नहीं बताये गये हैं।
131	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-03	154.33	31.57	कारण नहीं बताये गये हैं।
132		2515-00-198-45	118.57	118.57	मंत्रालय से निधि की अप्राप्ति
133		2515-00-796-30	71.50	36.16	कारण नहीं बताये गये हैं।
134	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-01	559.91	279.46	कारण नहीं बताये गये हैं।
135		2202-02-109-35	37.50	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
136		2202-02-109-45	24.57	22.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
137		2202-02-109-36 (सी.एस.एस)	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
138		2202-02-109-36	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
139	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-01	2,793.90	409.94	कारण नहीं बताये गये हैं।
140		2202-01-111-25	262.00	26.20	कारण नहीं बताये गये हैं।
141		2202-01-102-02	253.82	81.04	कारण नहीं बताये गये हैं।
142		2202-01-796-25 (सी.एस.एस)	332.00	211.56	कारण नहीं बताये गये हैं।
143		2202-01-796-55	128.87	32.22	कारण नहीं बताये गये हैं।
144		2202-01-101-55	119.88	29.97	कारण नहीं बताये गये हैं।
145		2202-01-789-25	192.30	98.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
146		2202-01-796-25	277.90	33.43	कारण नहीं बताये गये हैं।
147	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	2202-01-111-25	525.20	254.88	कारण नहीं बताये गये हैं।
148		2202-01-104-01	67.13	24.16	कारण नहीं बताये गये हैं।
149	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2236-02-796-02 (सी.एस.एस)	180.38	80.04	कारण नहीं बताये गये हैं।
150		2236-02-796-02	180.38	35.04	भारत सरकार से निधि का आवंटन नहीं होना।
151		2236-02-101-02 (सी.एस.एस)	154.08	69.51	कारण नहीं बताये गये हैं।
152		2236-02-101-02	154.08	31.17	कारण नहीं बताये गये हैं।
153		4235-02-796-73 (सी.एस.एस)	76.00	44.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
154		4235-02-103-73 (सी.एस.एस)	70.16	41.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
155		4235-02-796-73	50.66	29.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
156		4235-02-103-73	46.78	27.58	कारण नहीं बताये गये हैं।
कुल			22,867.27	8,661.12	

परिशिष्ट 2.3

₹ एक करोड़ व अधिक के बचत की विवरणी जो अभ्यर्पित नहीं किये गये
(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व				
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	526.05	519.13	6.92
2	15-पेंशन	654.38	0.00	654.38
3	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	128.31	89.75	38.56
4	41-पथ निर्माण विभाग	78.74	52.71	26.03
5	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	1,253.45	1,110.80	142.65
6	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	598.47	378.77	219.70
7	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	223.31	222.05	1.26
8	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	1,358.90	910.40	448.50
पूँजीगत				
9	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	34.01	23.21	10.80
10	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	34.28	24.82	9.46
11	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	35.43	32.22	3.21
12	49-जल संसाधन विभाग	389.76	361.31	28.45
13	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	53.30	13.70	39.60
कुल		5,368.39	3,738.87	1,629.52

परिशिष्ट 2.4

₹10 करोड़ से अधिक की निधि के 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पण के मामले

(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-102-AI	12.90
2		2401-00-796-67	12.00
3		2401-00-796-AI	25.80
4	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	4403-00-796-06	18.00
5	3-भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-39	36.53
6		4059-01-796-39	18.26
7	8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-102-07	27.41
8	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-796-10	10.00
9		2801-80-800-09	10.00
10		6801-00-201-24	80.00
11		6801-00-202-01	75.00
12		6801-00-796-34	13.00
13		6801-00-800-34	31.00
14	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	4047-00-796-05	15.00
15	14-ऋण की वापसी/अदायगी	2048-00-101-01	200.00
16	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-45	60.00
17		3456-00-789-45	25.00
18		3456-00-796-45	65.00
19	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-102-54	70.00
20		2210-01-103-56 (सी.एस.एस)	37.00
21		2210-01-103-56	26.00
22		2210-01-109-40 (सी.एस.एस)	58.70
23		2210-01-109-40	11.65
24		2210-01-110-25	12.00
25		2210-01-110-55	30.00
26		2210-01-110-57	30.00
27		2210-01-789-54	70.00
28		2210-01-796-54	60.00
29		2210-01-796-56 (सी.एस.एस)	16.00
30		2210-01-796-56	10.00
31		4210-01-110-33	10.00
32		4210-01-110-36	10.00
33	4210-01-110-37	10.00	
34	4210-01-796-35	20.00	
35	4210-01-796-37	10.00	
36	4210-03-105-07	10.00	

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
37		4055-00-207-43	18.73
38	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-207-43	12.49
39		2852-80-102-05	10.00
40	23- उद्योग विभाग	2852-80-102-07	15.00
41		2852-80-796-05	25.00
42	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-25	50.00
43		2245-01-101-01	13.00
44	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-01-101-02	30.00
45		2245-80-800-17	540.00
46		4700-80-789-12	65.00
47	49-जल संसाधन विभाग	4700-80-800-12	10.00
48		4701-80-796-63	20.00
49		4701-80-800-65	20.00
50	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-02-796-28	101.00
51		2225-02-796-89	10.00
52	53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	4405-00-101-68	11.56
53	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-198-45	118.57
54		2202-02-109-36 (सी.एस.एस)	20.00
55	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-36	20.00
56		2202-02-796-36 (सी.एस.एस)	13.20
57		2202-02-796-36	13.20
58		4235-02-103-73 (सी.एस.एस)	41.36
59	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4235-02-103-73	27.58
60		4235-02-796-73 (सी.एस.एस)	44.80
61		4235-02-796-73	29.86
सकल योग			2,516.60

परिशिष्ट 2.5

पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता
(संदर्भ: कंडिका 2.4.5; पृष्ठ 45)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त विभाग	*
2001-02	32	विधान मंडल	0.04
2002-03	32	विधान मंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधान मंडल	0.10
2011-12	14	ऋण की वापसी/अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	सांस्थिक वित्त विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋण की वापसी/अदायगी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज संदाय	139.42
2013-14	14	ऋण की वापसी/अदायगी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज संदाय	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
कुल			2,739.12

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

* आधिक्य राशि केवल ₹8,807 थी।

@ आधिक्य राशि केवल ₹1,072 थी।

\$ आधिक्य राशि केवल ₹81,665 थी।

^ आधिक्य राशि केवल ₹11,160 थी।

परिशिष्ट 2.6

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 2.4.6; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व (दत्तमत)					
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,247.08	923.73	323.35	202.70
2	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	258.04	197.24	60.80	34.79
3	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	57.81	42.93	14.88	4.59
4	17- वाणिज्य कर विभाग	66.69	51.98	14.71	4.77
5	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,338.10	1,120.57	217.53	177.43
6	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	598.31	496.04	102.27	26.03
7	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2,404.57	1,957.38	447.19	260.07
8	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	3,549.93	3,279.70	270.23	72.91
9	23- उद्योग विभाग	398.23	292.64	105.59	47.42
10	26- श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	253.07	170.66	82.41	28.36
11	32- विधान मंडल	68.24	65.69	2.55	2.84
12	33- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	30.76	25.41	5.35	5.32
13	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	644.53	525.41	119.12	650.77
14	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	508.56	364.44	144.12	16.99
15	41- पथ निर्माण विभाग	291.96	228.69	63.27	15.46
16	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	4,385.46	3,469.80	915.66	337.79
17	45-यूचना प्रौद्योगिकी एवं ई- गवर्नेंस विभाग	148.35	123.68	24.67	9.27
18	46-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	47.19	38.93	8.26	2.63
19	51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,617.75	1,316.17	301.58	296.89
20	52- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	96.36	74.28	22.08	5.52
21	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	303.70	221.40	82.30	18.14
22	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1,623.50	1,202.17	421.33	91.07
23	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	6,589.29	5,434.74	1,154.55	204.35
24	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,156.94	2,414.68	742.26	21.62

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
पूँजीगत (दत्तमत)					
25	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	70.20	12.03	58.17	4.22
26	3- भवन निर्माण विभाग	463.05	441.63	21.42	110.57
27	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	15.00	10.00	5.00	15.00
28	17- वाणिज्य कर विभाग	5.00	0.22	4.78	3.00
29	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	645.10	511.55	133.55	87.97
30	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	208.00	188.85	19.15	45.35
31	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	109.30	81.02	28.28	6.00
32	36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	280.50	220.97	59.53	11.25
33	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	534.60	530.94	3.66	31.77
34	49- जल संसाधन विभाग	1,305.90	1,121.11	184.79	204.97
35	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	526.10	389.80	136.30	87.36
36	51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	198.44	183.01	15.43	37.88
37	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	79.58	51.06	28.52	10.19
38	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	143.30	116.96	26.34	121.80
सकल योग (राजस्व + पूँजीगत)		34,268.49	27,897.51	6,370.98	3,315.06

परिशिष्ट 2.7
निधियों का अधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन
(संदर्भ: कंडिका 2.4.7; पृष्ठ 47)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	2013-00-108-02	16.00	-	(-)2.16
2	23- उद्योग विभाग	2851-00-107-06	4.53	-	(-) 0.88
3	41-पथ निर्माण विभाग	3054-80-001-08	2.50	-	(-)27.11
4	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2251-00-090-06	1.86	-	(-)21.96
कुल			24.89		(-)52.11
5	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	5054-03-337-08	3,500.00	-	(+)7.86
6		2217-80-191-33	2,051.58	-	(+)127.26
कुल			5,551.58		(+)135.12
7	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	2013-00-108-01	-	16.00	(+)35.26
8	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा	2210-03-103-01	-	500.00	(+)497.88
9	शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-200-15	-	114.74	(+)114.74
कुल				630.74	(+)647.88
10	41-पथ निर्माण विभाग	3054-80-001-02	22.20	27.84	(-)13.69
11	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2515-00-102-10	4.75	23.75	(+)0.24
कुल			26.95	51.59	(-)13.45

परिशिष्ट 2.8

**वर्ष के दौरान किये गये बड़े अभ्यर्पणों की समीक्षा के परिणाम
(संदर्भ: कंडिका 2.4.8; पृष्ठ 47)**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-789-67	मृदा सुधार एवं प्रबंधन की योजना	200.00	200.00	100
2		2401-00-796-67	मृदा सुधार एवं प्रबंधन की योजना	1,200.00	1,200.00	100
3		2401-00-800-68	मृदा सुधार, प्रबंधन एवं भूमि विकास योजना	600.00	600.00	100
4		2401-00-796-A1	खाद्यान्न फसलें	2,580.00	2,580.00	100
5		2401-00-102-A1	खाद्यान्न फसलें	1,290.00	1,290.00	100
6		2401-00-789-A1	खाद्यान्न फसलें	430.00	430.00	100
7		2401-00-796-AN	सब्जी उत्पादन का प्रत्यक्षण	300.00	300.00	100
8		2401-00-796-AO	विशेष फसलें-हल्दी एवं अदरक का प्रत्यक्षण	300.00	300.00	100
9	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-103-74	बैकयाई लो इनपुट बर्ड की वितरण की योजना	830.00	830.00	100
10		2403-00-103-77	व्यवसायिक कुक्कुट पालन योजना	750.00	750.00	100
11		2403-00-106-64	राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन कार्यक्रम (एन.पी.बी.बी.)	470.00	470.00	100
12		2403-00-106-65 (सी.एस.एस)	पशुधन विकास का सबमिशन (कलस्टर आधारित मास डीवार्मिंग हेल्थ कवर प्रोग्राम)(के.प्रा.यो.)	219.00	219.00	100
13		2403-00-789-64	राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन कार्यक्रम (एन.पी.बी.बी.)	250.00	250.00	100
14		2403-00-796-64	राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन कार्यक्रम (एन.पी.बी.बी.)	400.00	400.00	100
15		2403-00-796-74	बैकयाई लो इनपुट बर्ड की वितरण की योजना	375.00	375.00	100
16		2403-00-796-77	व्यवसायिक कुक्कुट पालन योजना	300.00	300.00	100
17		4403-00-789-07	पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण	334.00	334.00	100
18		4403-00-796-06	पशु प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण की योजना	1,800.00	1,800.00	100
19	3- भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-39	कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि	3,652.80	3,652.80	100
20		4059-01-796-39	कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि(केंद्राश-75:राज्यांश-25)	1,826.40	1,826.40	100
21	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-796-10	जे.एस.ई.आर.सी. को नये भवन निर्माण हेतु सहायक अनुदान	1,000.00	1,000.00	100
22		2801-80-800-09	परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित)- स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर हेतु अनुदान	1,000.00	1,000.00	100
23		6801-00-201-24	प्रदूषण नियंत्रण उपाय	8,000.00	8,000.00	100
24		6801-00-202-01	कोयला ब्लॉक और बिजली संयंत्र-नई योजना (योजना)	7,500.00	7,500.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
25	10-ऊर्जा विभाग	6801-00-789-34	समेकित बिजली विकास योजना (आई.पी.डी.;एस.)	600.00	600.00	100
26		6801-00-796-34	समेकित बिजली विकास योजना (आई.पी.डी.;एस.)	1,300.00	1,300.00	100
27		6801-00-800-34	समेकित बिजली विकास योजना (आई.पी.डी.;एस.)	3,100.00	3,100.00	100
28	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	4047-00-796-05	राज्य उत्पाद भवन का निर्माण(योजना)	1,500.00	1,500.00	100
29	14-ऋण की वापसी/अदायगी	2048-00-101-01	निकषेप निधि में योगदान	20,000.00	20,000.00	100
30	17- वाणिज्य कर विभाग	4059-60-051-04	प्रस्तावित चेक पोस्ट	300.00	300.00	100
31	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-43	मूल्य स्थिरीकरण कोष	800.00	800.00	100
32		3456-00-102-45	चना/दाल वितरण योजना	6,000.00	6,000.00	100
33		3456-00-789-42	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा बी.पी.एल. परिवारों को एल.पी.जी. गैस वितरण योजना	300.00	300.00	100
34		3456-00-789-43	मूल्य स्थिरीकरण कोष	300.00	300.00	100
35		3456-00-789-44	जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण	300.00	300.00	100
36		3456-00-789-45	चना/दाल वितरण योजना	2,500.00	2,500.00	100
37		3456-00-796-03	अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता)	216.00	216.00	100
38		3456-00-796-43	मूल्य स्थिरीकरण कोष	900.00	900.00	100
39		3456-00-796-45	चना/दाल वितरण योजना	6,500.00	6,500.00	100
40		19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-110-49 (सी.एस.एस.)	ग्रीण इंडिया मिशन	1,565.65	1,565.65
41	2406-01-110-49		ग्रीण इंडिया मिशन	1,043.77	1,043.77	100
42	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-51	कम्यूनिटी बेस्ट पैलिएटिव केयर	200.00	200.00	100
43		2210-01-102-54	यूनिवर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स कवरेज स्कीम	7,000.00	7,000.00	100
44		2210-01-103-56 (सी.एस.एस.)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	3,700.00	3,700.00	100
45		2210-01-103-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	2,600.00	2,600.00	100
46		2210-01-103-56 (सी.एस.एस.)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	418.00	418.00	100
47		2210-01-109-40 (सी.एस.एस.)	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (ए.एन.एम./जी.एन.एम. स्कूल)	5,870.00	5,870.00	100
48		2210-01-109-40	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मानव संसाधन (ए.एन.एम./जी.एन.एम. स्कूल)	1,165.00	1,165.00	100
49		2210-01-110-25	इमर्जेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स सर्विसेज	1,200.00	1,200.00	100
50		2210-01-110-47	झारखण्ड राज्य में जेनेटिक स्क्रीनिंग योजना	500.00	500.00	100
51		2210-01-110-53	केंद्रीय बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल यूनिट	200.00	200.00	100

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
52	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-55	निजी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना हेतु प्रोत्साहन	3,000.00	3,000.00	100
53		2210-01-110-57 (सी.एस.एस)	पी.एम.एस.एस.वाई. के अंतर्गत पी.एम.सी.एच. धनवाद में सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक	3,000.00	3,000.00	100
54		2210-01-110-57	पी.एम.एस.एस.वाई. के अंतर्गत पी.एम.सी.एच. धनवाद में सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक	600.00	600.00	100
55		2210-01-789-54	यूनिवर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स कवरेज स्कीम	7,000.00	7,000.00	100
56		2210-01-789-56 (सी.एस.एस)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	700.00	700.00	100
57		2210-01-789-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	400.00	400.00	100
58		2210-01-796-54	यूनिवर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स कवरेज स्कीम	6,000.00	6,000.00	100
59		2210-01-796-56 (सी.एस.एस)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	1,600.00	1,600.00	100
60		2210-01-796-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	1,000.00	1,000.00	100
61		2210-05-101-17	राष्ट्रीय मिशन आयुष प्रक्षेत्र (चाईबासा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)	475.00	475.00	100
62		4210-01-110-24	नये एम्बुलेंस का क्रय(परिचालन व्यय सहित)	500.00	500.00	100
63		4210-01-110-26	डायलिसिस सेंटर की स्थापना	200.00	200.00	100
64		4210-01-110-33	राज्य डायलिटिक केयर सेंटर	1,000.00	1,000.00	100
65		4210-01-110-36	कर्मा, कोडरमा में नये मेडिकल कॉलेज	1,000.00	1,000.00	100
66		4210-01-110-37	नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	1,000.00	1,000.00	100
67		4210-01-796-35	एम.जी.एम.एम.सी. कैम्पस में नये अस्पताल भवन	2,000.00	2,000.00	100
68		4210-01-796-37	नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	1,000.00	1,000.00	100
69		4210-02-110-36	ब्लड बैंक	200.00	200.00	100
70		4210-03-105-07	पी.एम.सी.एच. धनवाद और एम.जी.एम. सी.एच. जमशेदपुर में पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना	1,000.00	1,000.00	100
71		22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-207-43 (सी.एस.एस)	पुलिस का आधुनिकीकरण तथा भवन निर्माण	1,873.00	1,873.00
72	4055-00-207-43		पुलिस का आधुनिकीकरण तथा भवन निर्माण	1,249.00	1,249.00	100
73	4055-00-207-45		पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों का क्रय	751.00	751.00	100
74	23- उद्योग विभाग	2851-00-107-10	रेशम के विकास की योजना-आधारभूत संरचना का विकास	200.00	200.00	100
75		2852-80-102-05	भू-अर्जन एवं अर्जित भूमि का विकास-सहायता अनुदान	1,000.00	1,000.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
76	23- उद्योग विभाग	2852-80-102-07	असाइड योजना-सहायक अनुदान	1,500.00	1,500.00	100
77		2852-80-102-19	उद्योग विहीन जिलों में ग्रोथ सेंटर की स्थापना हेतु भू-अर्जन सहायता अनुदान	200.00	200.00	100
78		2852-80-102-52	पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन औद्योगिक इकाईयों को सहायता अनुदान	380.00	380.00	100
79		2852-80-102-67	औद्योगिक गलियारे हेतु सहायता अनुदान	200.00	200.00	100
80		2852-80-796-05	भू-अर्जन एवं अर्जित भूमि का विकास-सहायता अनुदान	2,500.00	2,500.00	100
81		4851-00-796-02	निफ्ट केन्द्र की स्थापना	500.00	500.00	100
82	26- श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	4059-01-001-56	बीड़ी मजदूरों के लिए आवास निर्माण	247.00	247.00	100
83		4059-01-796-56	बीड़ी मजदूरों के लिए आवास निर्माण	300.00	300.00	100
84		4250-00-203-07	नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण	200.00	200.00	100
85	29-खनन एवं भू-तत्व विभाग	4853-02-004-01	खनन स्थापना-मुख्य निर्माण कार्य	464.00	464.00	100
86		4853-02-004-03	भूतात्विक अन्वेषण इकाई का जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण	250.00	250.00	100
87	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग))	4225-80-796-08	हज हाउस का निर्माण	400.00	400.00	100
88	35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-094-34	कैपेसिटी बिल्डींग/ सेमिनार सिम्पोजियम/डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग/ इनोभेसन/पी.पी.पी. वर्कशॉप आदि	600.00	600.00	100
89		2053-00-796-24	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड द्वारा खूँटी जिला में नॉलेज सिटी की स्थापना	500.00	500.00	100
90		2053-00-796-25	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (न्यू सिटी कैपिटल प्रोजेक्ट)	5,000.00	5,000.00	100
91		3454-02-796-16	झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना का नीतिकरण (जे.एस.एस.एस.पी)	884.35	884.35	100
92	36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-789-13	ग्रामीण स्वच्छता हेतु अनुदान	316.00	316.00	100
93	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-01-101-01	निः सहायों एवं विकलांगों को नगद राहत	1,300.00	1,300.00	100
94		2245-01-101-02	खाद्यान्न की आपूर्ति	3,000.00	3,000.00	100
95		2245-01-101-08	खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु राज्य द्वारा सहायता	800.00	800.00	100
96		2245-01-101-09	अन्य कार्य हेतु राज्य द्वारा सहायता	200.00	200.00	100
97		2245-01-104-01	चारे की आपूर्ति	300.00	300.00	100
98		2245-02-101-06	अन्य राज्यों के आपदा पीड़ितों को सहायतार्थ	500.00	500.00	100
99		2245-80-101-16	14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में क्षमता संवर्धन	1,909.99	1,909.99	100
100		2245-80-800-17	एस.डी.आर.एफ. निधि में निवेश	54,000.00	54,000.00	100

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
101	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-02-101-08 (सी.एस.एस)	नीरांचल योजना	461.30	461.30	100
102		2501-02-101-08	नीरांचल योजना	308.00	308.00	100
103		2501-02-796-08 (सी.एस.एस)	नीरांचल योजना	339.20	339.20	100
104		2501-02-796-08	नीरांचल योजना	226.00	226.00	100
105		2515-00-102-28	उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड-आदर्श ग्राम योजना	980.00	980.00	100
106		2515-00-789-28	उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड-आदर्श ग्राम योजना	300.00	300.00	100
107		2515-00-796-28	उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड-आदर्श ग्राम योजना	720.00	720.00	100
108		43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2203-00-800-47	बाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम हेतु 70 प्रतिशत सहायक अनुदान	320.00	320.00
109	2203-00-796-A5		गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान	208.00	208.00	100
110	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग	2203-00-001-98	आई.टी./आई.टी.इनेबल्ड सर्विसेज इन्सेटिव	200.00	200.00	100
111		2203-00-796-A9	नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान	800.00	800.00	100
112		2203-00-001-A9	नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान	388.15	388.15	100
113	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-191-62	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (एन.आर.सी.पी.) द्वारा प्रायोजित योजना हेतु अनुदान (केन्द्रांश)	800.00	800.00	100
114		2217-80-191-65	झारखण्ड राज्य विकास निधि अनुदान (राज्य निधि)	3,200.00	3,200.00	100
115		2217-80-191-67	बाह्य सम्पोषित योजनाओं हेतु अनुदान(योजना)	2,000.00	2,000.00	100
116		2217-80-191-70	स्मार्ट सिटी (राज्यांश)	3,200.00	3,200.00	100
117		2217-80-191-75	स्मार्ट सिटी (केन्द्रांश)	4,800.00	4,800.00	100
118		2217-80-796-61	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी. सहित) एवं एन.जी.आर.बी.ए. (राज्यांश)	1,150.00	1,150.00	100
119		2217-80-796-62 (सी.एस.एस)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी. सहित) एवं एन.जी.आर.बी.ए. (केन्द्रांश) सह नमामी गंगे हेतु अनुदान	1,150.00	1,150.00	100
120		2217-80-796-67	बाह्य सम्पोषित, राँची सिवरेज-ड्रेनेज एवं इनर सर्कुलर रोड योजनाओं हेतु अनुदान	3,000.00	3,000.00	100
121	49-जल संसाधन विभाग	2705-00-101-01	मयुराक्षी जलाशय योजना	300.00	300.00	100
122		2705-00-789-02	काँची सिंचाई योजना	300.00	300.00	100
123		4700-80-789-12	ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (केन्द्रांश)	6,500.00	6,500.00	100
124		4700-80-800-12	ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम(केन्द्रांश)	1,000.00	1,000.00	100

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
125	49--जल संसाधन विभाग	4701-80-005-76	राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना	500.00	500.00	100
126		4701-80-789-63	मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण	500.00	500.00	100
127		4701-80-789-65	छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण	500.00	500.00	100
128		4701-80-796-63	मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण	2,000.00	2,000.00	100
129		4701-80-800-65	छोटानागपुर संधाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण	2,000.00	2,000.00	100
130	50-- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-789-18	चालू लघु सिंचाई का निर्माण	200.00	200.00	100
131	51- कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-81	प्रशिक्षण (नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी)	200.00	200.00	100
132		2225-02-796-28	लाह विकास योजना	10,100.00	10,100.00	100
133		2225-02-796-89	लाह एवं लघु-वनोपज विपणन एवं विकास कार्यक्रम	1,000.00	1,000.00	100
134		4225-01-789-02	छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य	200.00	200.00	100
135	52- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2205-00-101-37 (सी.एस.एस)	रविन्द्र भवन की स्थापना एवं कार्यशाला आयोजन (के.प्रा.यो.)	235.00	235.00	100
136		2205-00-101-37	रविन्द्र भवन की स्थापना एवं कार्यशाला आयोजन	240.00	240.00	100
137	53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	2405-00-101-60	केज एक्वाकल्चर	530.00	530.00	100
138		2405-00-796-60	केज एक्वाकल्चर	270.00	270.00	100
139		4405-00-101-68	केज एक्वाकल्चर	1,156.00	1,156.00	100
140		4405-00-789-68	केज एक्वाकल्चर	250.00	250.00	100
141		4405-00-796-68	केज एक्वाकल्चर	630.00	630.00	100
142	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-75	गव्य प्रजनन राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.बी.बी.)	200.00	200.00	100
143		2404-00-102-76	नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (एन.पी.डी.डी.)	600.00	600.00	100
144	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-198-45	14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सामान्य परफारमेंस अनुदान	11,857.00	11,857.00	100
145	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-36 (सी.एस.एस)	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना	2,000.00	2,000.00	100
146		2202-02-109-36	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना	2,000.00	2,000.00	100
147		2202-02-109-60	झारखण्ड क्षेत्र के लिए आर.एम.एस.ए. योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर साक्षरता (आई.सी.टी.)	558.00	558.00	100

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
148	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-789-36 (सी.एस.एस)	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना	680.00	680.00	100
149		2202-02-789-36	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना)	680.00	680.00	100
150		2202-02-796-36 (सी.एस.एस)	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना)	1,320.00	1,320.00	100
151		2202-02-796-36	सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत मॉडल विद्यालय की स्थापना)	1,320.00	1,320.00	100
152	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-106-96 (सी.एस.एस)	आई.सी.डी.एस. (सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण))	1,300.00	1,300.00	100
153		2235-02-106-96	आई.सी.डी.एस. (सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण))	864.00	864.00	100
154		2235-02-796-96 (सी.एस.एस)	आई.सी.डी.एस. (सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण))	1,400.00	1,400.00	100
155		2235-02-796-96	आई.सी.डी.एस. (सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण))	936.00	936.00	100
156		4235-02-796-75	विशेष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/विशेष निःशक्त केन्द्र	250.00	250.00	100
				2,98,011.61	2,98,011.61	100

परिशिष्ट 2.9
वर्ष के अंत में व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 47)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	शीर्ष	जनवरी से मार्च 2017 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2017 में किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी से मार्च 2017	मार्च 2017
1	ऊर्जा विभाग	2810	51.84	51.84	51.84	100.00	100.00
2	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	4217	49.00	49.00	49.00	100.00	100.00
3	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4235	116.96	113.14	116.96	100.00	96.73
4	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	5452	69.47	38.71	74.27	93.54	52.12
5	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245	403.25	205.36	453.32	88.95	45.30
6	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	4225	217.96	101.55	264.04	82.55	38.46
7	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217	2,127.94	963.75	2,583.98	82.35	37.30
8	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2204	47.51	40.39	57.87	82.10	69.79
9	उद्योग विभाग	2852	133.54	62.95	166.41	80.25	37.83
10	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2402	49.86	38.15	62.93	79.23	60.62
11	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501	367.05	149.95	485.93	75.54	30.86
12	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055	138.58	128.56	188.68	73.45	68.14
13	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2203	191.15	175.81	263.62	72.51	66.69
14	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401	497.96	387.88	716.70	69.48	54.12
15	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	3452	24.13	10.03	37.37	64.57	26.84
16	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	4405	32.83	17.42	51.06	64.30	34.12
17	परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053	126.43	80.96	203.13	62.24	39.86
18	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4210	315.06	290.61	511.55	61.59	56.81
19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406	298.45	212.09	491.57	60.71	43.15
20	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	2230	79.03	63.23	131.39	60.15	48.12

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	विभाग का नाम	शीर्ष	जनवरी से मार्च 2017 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2017 में किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी से मार्च 2017	मार्च 2017
21	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	4402	256.24	207.81	428.01	59.87	48.55
22	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	4216	49.20	9.36	84.75	58.05	11.04
23	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404	124.75	73.53	221.40	56.35	33.21
24	पथ निर्माण विभाग	3054	126.09	65.97	227.07	55.53	29.05
25	जल संसाधन विभाग	4701	217.61	72.12	393.08	55.36	18.35
26	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	2405	30.95	18.26	58.81	52.63	31.05
27	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225	676.23	290.94	1,311.94	51.54	22.18
28	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	4215	112.11	31.73	220.97	50.74	14.36
29	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	2015	34.87	19.39	69.43	50.22	27.93
कुल			6,966.05	3,970.49	9,977.08	69.82	39.80

परिशिष्ट 2.10

नियंत्रि अधिकारियों की सूची जहाँ वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय असमाशोधित रहा
(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)
(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 48)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नियंत्रि अधिकारी/विभाग	असमाशोधित राशि
1	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, झारखण्ड, राँची	1,798.41
2	उद्योग निदेशक, उद्योग और खनिज विभाग, झारखण्ड	510.04
3	सचिव, पशुपालन विभाग, राँची	96.91
4	सचिव, परिवहन एवं नागर विमानन-सह-राज्य आयुक्त, झारखण्ड	182.27
5	रजिस्ट्रार, सहकारिता सोसाइटी सहयोग विभाग रांची	166.47
6	सचिव, वित्त एवं राजस्व व भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची	109.93
7	सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची	12.70
8	सचिव, राजस्व विभाग बोर्ड	356.34
9	उप सचिव, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग, राँची	7,640.18
10	उप सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रांची	253.23
11	उप सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, झारखण्ड, राँची	57.72
12	सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	1,868.71
13	सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	1,229.48 194.82
14	सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	1,078.83
15	सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग झारखण्ड	959.44
16	उप. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, राँची	389.80
17	निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची	6,092.55
18	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	1,412.66
19	श्रम आयुक्त, झारखण्ड, राँची	120.45
20	निदेशक, योजना और मूल्यांकन विभाग	10.69
21	सचिव, झारखण्ड, विधान सभा	66.36
22	चुनाव आयुक्त, चुनाव विभाग, झारखण्ड, राँची	69.43
23	महानिरीक्षक (कारा), गृह विभाग, झारखण्ड, राँची	41.26
24	सचिव, खाद्य और पोषण विभाग झारखण्ड	394.50
25	निदेशक, डेयरी विकास विभाग	221.39
26	संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग	112.11
27	आयुक्त-सह-सचिव, जल संसाधन विभाग	54.41
28	मुख्य अभियंता, सड़क निर्माण (पीडब्ल्यूडी) विभाग	176.81
29	अपर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, सेक्शन-IV ग्रामीण पुलिस, झारखण्ड आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची	370.56

क्र.सं.	नियंत्री अधिकारी/विभाग	असमाशोधित राशि
30	डी.जी.पी. होम गार्ड, राँची आयुक्त, नागरिक रक्षा, झारखण्ड रजिस्ट्रार, कैबिनेट (सतर्कता) विभाग राँची प्रमंडलीय आयुक्त, राजभाषा विभाग, राँची	95.33
31	उद्योग निदेशक, उद्योग और खनिज विभाग, झारखण्ड	98.80
32	उद्योग निदेशक, उद्योग और खनिज विभाग, झारखण्ड	164.78
33	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	89.08
34	अवर सचिव, बीसी और आवास पीडब्ल्यूडी प्रमंडल विभाग मुख्य अभियंता, बीसी और आवास पीडब्ल्यूडी प्रमंडल विभाग	107.52
35	सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची	300.46
36	सचिव, लघु सिंचाई विभाग, राँची	25.69
37	सचिव-सह-आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग	400.00
38	मत्स्यपालन निदेशक, झारखण्ड	45.69
39	निदेशक, मृदा एवं जल संरक्षण, झारखण्ड	62.56
कुल		27,438.37

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का कार्यालय, झारखण्ड, राँची

परिशिष्ट 2.11
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 2.7.4; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष										आवंटन				कुल व्यय (मार्च तक)	
	शीर्ष	मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष		उप शीर्ष	यो./गै.यो.	दत्तमत / भारित	मूल	अनुपूरक (अगस्त 2017 में)	पुनर्विनियो जन	अंतिम				
1	3054-01-337-01	3054	सड़क एवं पुल	01	राष्ट्रीय उच्च पथ	337	सड़क निर्माण कार्य	01	राष्ट्रीय उच्च पथों का अनुरक्षण एवं मरम्मति	गै.यो. (डब्ल्यू)	दत्तमत	14.75	15.25	-8.74	21.26	0.04
2	3054-03-052-06	3054	सड़क एवं पुल	03	राज्य उच्च पथ	052	मशीन एवं उपकरण	06	मशीन एवं उपकरण	गै.यो. (डब्ल्यू)	दत्तमत	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
3	3054-03-337-01	3054	सड़क एवं पुल	03	राज्य उच्च पथ	337	सड़क निर्माण कार्य	01	राष्ट्रीय उच्च पथों का अनुरक्षण एवं मरम्मति	गै.यो. (डब्ल्यू)	दत्तमत	150.00	0.00	-31.63	118.37	115.81
उप-योग												164.76	15.25	-40.38	139.63	115.85
4	3054-03-337-02	3054	सड़क एवं पुल	01	राज्य उच्च पथ	337	सड़क निर्माण कार्य	02	कार्य भारित स्थापना परव्यय	गै.यो.	दत्तमत	0.15	0.00	0.25	0.40	0.40
5	3054-80-001-01	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	01	निदेशन	गै.यो.	दत्तमत	10.32	0.00	-1.96	8.36	8.25
6	3054-80-001-02	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	02	कार्य सम्पादन	गै.यो.	दत्तमत	66.84	0.14	-0.59	66.39	66.25
7	3054-80-001-04	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	04	अधीक्षण	गै.यो.	दत्तमत	7.84	0.00	-0.91	6.93	6.37
8	3054-80-001-05	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	05	निरूपण	गै.यो.	दत्तमत	6.75	0.02	-1.13	5.64	5.14
9	3054-80-001-06	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	06	राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-निदेशन	गै.यो.	दत्तमत	1.37	0.00	-0.36	1.01	1.00
10	3054-80-001-07	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	07	राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-अधीक्षण	गै.यो.	दत्तमत	2.06	0.03	-0.49	1.60	1.59
11	3054-80-001-08	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	08	राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-कार्य सम्पादन	गै.यो.	दत्तमत	17.31	0.00	-1.80	15.51	15.24
12	3054-80-001-09	3054	सड़क एवं पुल	80	सामान्य	001	निदेशन एवं प्रशासन	09	अग्रिम योजना स्थापना	गै.यो.	दत्तमत	7.01	0.02	-1.23	5.80	5.57
13	3451-00-090-12	3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	00		090	सचिवालय	12	पथ निर्माण विभाग	गै.यो.	दत्तमत	1.89	0.00	-0.28	1.61	1.62
कुल योग												121.54	0.21	-8.50	113.25	111.43
सकल योग												286.30	15.46	48.88	252.88	227.28

परिशिष्ट 2.12

**विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन
(संदर्भ: कंडिका 2.7.9; पृष्ठ 54)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रमंडल	शीर्ष	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	का.अ., प.नि.वि., डाल्टनगंज	योजना	226.70	226.66	0.04
		गैर-योजना (कार्य)	3.16	1.34	1.82
		गैर-योजना (स्थापना)	3.98	3.93	0.05
		कुल	233.84	231.93	1.91
2	का.अ., प.नि.वि., गुमला	योजना	148.09	142.19	5.90
		गैर-योजना (स्थापना)	2.24	0.00	2.24
		कुल	150.33	142.19	8.14
3	का.अ., प.नि.वि., हजारीबाग	योजना	226.42	226.07	0.35
		गैर-योजना (स्थापना)	2.46	2.18	0.28
		कुल	228.88	228.25	0.63
4	का.अ., प.नि.वि., जमशेदपुर	योजना	267.70	222.44	45.26
		गैर-योजना (स्थापना)	2.95	2.69	0.26
		कुल	270.65	225.13	45.52
5	का.अ., प.नि.वि., राँची	योजना	343.05	332.60	10.45
		गैर-योजना (स्थापना)	4.43	0.00	4.43
		कुल	347.48	332.60	14.88
सकल योग			1,231.18	1,160.10	71.08

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2017 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(संदर्भ: कंडिका 3.1; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

विभाग	2015-16 तक (2014-15 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		2016-17 के दौरान (2015-16 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		प्रतीक्षारत कुल उ.प्र.प.	
	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
उद्योग	128	163.51	376	226.59	504	390.10
शिक्षा	158	7,175.04	642	3,675.92	800	10,850.96
सहकारिता	66	42.64	18	55.84	84	98.48
पशुपालन	42	27.03	शून्य	शून्य	42	27.03
चिकित्सा	05	195.00	13	656.03	18	851.03
कल्याण	693	603.78	6,505	1,038.08	7,198	1,641.86
कृषि	28	120.98	108	154.84	136	275.82
भूमि राजस्व	1	0.21	शून्य	शून्य	1	0.21
शहरी विकास	4,725	2,395.80	948	2,192.54	5,673	4,588.34
अन्य	2,126	6,005.35	742	4,720.34	2,868	10,725.69
कुल	7,972	16,729.34	9,352	12,720.18	17,324	29,449.52

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा रखे गये अभिलेखों के अनुसार।

परिशिष्ट 3.2

**सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य
इकाइयों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 3.2.1; पृष्ठ 57)**

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	बोकारो	2013-14
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	चतरा	2012-13
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	धनबाद	2013-14
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	दुमका	2011-12
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	2014-15
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गढ़वा	2014-15
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गोड्डा	2012-13
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गुमला	2011-12
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	हजारीबाग	2014-15
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	जामताड़ा	2012-13
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	खूँटी	2015-16
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	कोडरमा	2015-16
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	लातेहार	12/2012
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	लोहरदगा	2013/14
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पाकुड़	2015-16
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पलामू	2013-14
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	राँची	2011-12
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	रामगढ़	2013-14
21	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाईटी, नामकुम	राँची	2011-12
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	सरायकेला खरसावाँ	2013-14
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	सिमडेगा	2013-14
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा	2007-08
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	साहेबगंज	2013-14
26	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	2014-15
27	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाईटी, राँची	राँची	शून्य
28	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	11/2016
29	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2015-16
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2015-16
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2015-16
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	2015-16

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	2015-16
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	फरवरी-17
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2015-16
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	फरवरी-17
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	दिसम्बर-15
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2012-13
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	मेदिनीनगर	सितम्बर-15
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2014-15
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
52	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	शुरुआत से लेखापरीक्षा नहीं किया गया
53	शिक्षा (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	बिरला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2016-17
54	विमानन	नागर विमानन प्राधिकरण राँची	राँची	2016-17
55	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड पदोन्नति अनुप्रयोग संस्थान (जैप-आई.टी.)	राँची	07/2014
56	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अंतरिक्ष विज्ञान केन्द्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57	समाज कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	2015-16
59	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2015-16
60	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2016-17
61	वन	लाह प्रशोधन संयंत्र, लातेहार	लातेहार	2008-09
62	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2015-16
63	जैव प्रौद्योगिकी	वन में लाह का उत्पादन, डोरण्डा	राँची	2008-09
64	वन	वन राज्य व्यापार प्रभाग	1. लातेहार 2. गुमला 3. चाईबासा 4. हजारीबाग	1. 2012-13 2. 2012/13 3. 2012-13 4. 2008-09
65	पशुपालन	बेकन फैक्ट्री, काँके, राँची	राँची	2009-10
66	पशुपालन	क्षेत्रीय मुर्गीपालन केन्द्र, राँची	राँची	2009-10
67	विधि	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राँची	राँची	2008-09

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
68	सूचना और जन संपर्क	राजकीय प्रेस, राँची	राँची	2010-11
69	शिक्षा एवं शोध	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2006-07
70	वन	झारखण्ड जैविक विविधता परिषद, डोरण्डा, राँची	राँची	शून्य (नई इकाई)
71	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2016-17
72	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सेनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2004-05
73	शिक्षा	निदेशक, आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	2007-08
74	शिक्षा	झारखण्ड महिला सामाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
75	कला, संस्कृति एवं खेलकूद	राष्ट्रीय खेल संयोजक समिति, मोराबादी, राँची	राँची	2008-09

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में रखे गये स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 3.3
विस्तृत आकस्मिक विपत्रों में अभिश्रवों का नहीं पाया जाना
(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 63)

(राशि ₹ में)

Sl. No.	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	FIN_YR	MJH_CD	TR_CD	DC_CHLN_NO	DATE	DC_CHLN_AMT
1	6	253	22-12-2016	2016-17	5054	PCB	330	05-03-2017	72,35,41,196
2	6	261	27-10-2015	2015-16	5054	PCB	3400	30-05-2016	40,00,00,000
3	5	303	07-02-2017	2016-17	5054	PCB	1437	09-03-2017	15,00,00,000
4	2	403	17-03-2016	2015-16	5054	PCB	3400	30-05-2016	8,00,00,000
5	1	95	22-06-2016	2016-17	5054	PCB	139	09-01-2017	2,62,80,653
6	5	315	08-12-2015	2015-16	5054	PCB	140	09-01-2017	2,21,83,875
7	5	315	08-12-2015	2015-16	5054	PCB	3400	30-05-2016	1,31,36,625
8	2	211(L.Ni)/2015-	28-03-2016	2015-16	4403	PCB	657	15-09-2016	69,97,592
9	4	269/2015-16	30-03-2016	2015-16	4403	RNC	581	03-05-2016	45,20,000
10	4	269/2015-16	30-03-2016	2015-16	4403	RNC	713	03-06-2016	28,28,550
11	4	269/2015-16	30-03-2016	2015-16	4403	RNC	984	09-08-2016	10,51,450
12	5	270/2015-16	30-03-2016	2015-16	4403	RNC	714	03-06-2016	28,29,550
13	5	270/2015-16	30-03-2016	2015-16	4403	RNC	845	01-07-2016	17,42,915
14	5	270/2015-16	30-03-2016	2015-16	4403	RNC	982	09-08-2016	2,49,883
15	31	Adv.Build289/20	30-03-2016	2015-16	4055	PCB	964	20-01-2017	15,09,00,000
16	2	Adv.Build 01/20	15-10-2015	2015-16	4055	PCB	965	20-01-2017	7,91,00,000
17	2	Build Bill01/20	06-03-2015	2014-15	4055	PCB	1201	26-03-2017	7,17,44,896
18	9	Adv.Build.03/20	30-03-2015	2014-15	4055	PCB	1199	26-03-2017	4,77,31,996
19	25	Adv.Build.01/20	29-03-2015	2014-15	4055	PCB	1203	26-03-2017	4,00,00,000
20	1	Adv.Bill 01/201	02-09-2014	2014-15	4055	PCB	1202	26-03-2017	3,87,86,502
21	2	Adv.Build 01/20	15-10-2015	2015-16	4055	PCB	1034	13-02-2017	3,69,75,500
22	6	Adv.Build291/20	28-03-2016	2015-16	4055	PCB	1207	26-03-2017	3,41,14,204
23	31	Adv.Build289/20	30-03-2016	2015-16	4055	PCB	1200	26-03-2017	2,68,58,474
24	1	Adv.Mise.01/201	15-10-2015	2015-16	4055	PCB	967	20-01-2017	2,05,00,000
25	6	Adv.Build.01/20	29-03-2015	2014-15	4055	PCB	1204	26-03-2017	2,00,00,000
26	4	Adv.Build292/20	28-03-2016	2015-16	4055	PCB	966	20-01-2017	1,68,00,000
27	1	Adv.Mise.01/201	15-10-2015	2015-16	4055	PCB	1035	13-02-2017	1,00,14,200
28	3	Adv.Build293/20	28-03-2016	2015-16	4055	PCB	1205	26-03-2017	40,27,750
29	4	Adv.Build292/20	28-03-2016	2015-16	4055	PCB	1206	26-03-2017	24,70,251
30	4	428/2015-16	22-03-2016	2015-16	4055	RNC	2026	14-03-2017	41,65,000
31	2	418/2015-16	02-03-2016	2015-16	4055	RNC	4898	24-07-2016	40,69,681
32	1	134/11-12	21-02-2012	2011-12	4055	SGH	362	18-03-2017	20,26,607
33	16	34	29-03-2008	2007-08	4055	RNC	83	08-05-2016	18,49,000
34	9	165	29-03-2009	2008-09	4055	SGH	242	19-02-2017	10,94,166
35	3	246/2015-16	30-03-2016	2015-16	4055	DNB	594	18-09-2016	10,33,200
36	2	189/15-16	28-03-2016	2015-16	4055	BKR	582	14-09-2016	9,68,500
37	1	47	07-10-2010	2010-11	4055	BKR	580	14-09-2016	9,38,760
38	6	160	28-03-2009	2008-09	4055	SGH	242	19-02-2017	7,51,968
39	1	78/08-09	30-01-2009	2008-09	4055	SGH	242	19-02-2017	5,38,943
40	1	111/2008-09	17-03-2009	2008-09	4055	SGH	242	19-02-2017	4,49,871
41	10	511/2015-16	30-03-2016	2015-16	4055	RNC	4728	17-07-2016	4,30,530
42	2	137/12-13	25-03-2013	2012-13	4055	PKR	316	28-03-2017	3,48,828
43	2	124/11-12	05-03-2012	2011-12	4055	BKR	2407	18-10-2016	3,48,026
44	8	201/12-13	30-03-2013	2012-13	4055	GRH	364	28-02-2017	2,69,520

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

Sl. No.	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	FIN_YR	MJH_CD	TR_CD	DC_CHLN_NO	DATE	DC_CHLN_AMT
45	9	141	17-03-2009	2008-09	4055	SDG	469	03-05-2016	2,00,000
46	10	164	29-03-2009	2008-09	4055	SGH	242	19-02-2017	1,48,224
47	4	374/15-16	30-03-2016	2015-16	4055	DMK	578	14-09-2016	1,00,887
48	2	251/2013-14	30-03-2014	2013-14	4055	CTR	1594	21-11-2016	78,750
49	0023A	60	15-03-2009	2008-09	2403	SGH	244	23-06-2016	7,71,413
50	124	170	30-03-2012	2011-12	2403	HZB	1	29-06-2016	4,25,117
51	315	26	21-03-2002	2001-02	2225	RNC	70	27-03-2017	1,50,000
52	318	29	21-03-2002	2001-02	2225	RNC	70	27-03-2017	1,00,000
53	57	3	11-01-2010	2009-10	2202	KDM	79	16-03-2017	1,00,00,000
54	0004D	2	27-03-2009	2008-09	2202	KDM	916	19-05-2016	93,60,000
55	60	4	27-03-2009	2008-09	2202	KDM	919	19-05-2016	58,50,000
56	0004D	69	29-03-2010	2009-10	2202	JMT	1122	18-09-2016	30,03,000
57	0001D	4	18-02-2010	2009-10	2202	LDG	1269	17-07-2016	17,78,328
58	0001C	1	10-01-2010	2009-10	2202	KDM	917	19-05-2016	13,50,000
59	0001C	3	18-02-2010	2009-10	2202	LDG	1268	17-07-2016	13,33,946
60	0002E	11	22-03-2009	2008-09	2202	LDG	1407	10-08-2016	13,33,745
61	0001F	179	30-03-2008	2007-08	2202	LDG	1266	17-07-2016	13,32,690
62	0014D	5	26-03-2009	2008-09	2202	RNC	654	08-08-2016	11,50,000
63	0001D	4	18-02-2010	2009-10	2202	LDG	1834	29-09-2016	8,89,014
64	0002D	251	30-03-2009	2008-09	2202	JMT	1088	13-09-2016	8,24,910
65	0001D	4	18-02-2010	2009-10	2202	LDG	1850	04-10-2016	4,44,332
66	0001F	1	27-03-2009	2008-09	2202	KDM	915	19-05-2016	3,60,000
67	0002B	49	26-03-2008	2007-08	2202	SKL	278	14-09-2016	3,50,877
68	0002E	11	22-03-2009	2008-09	2202	LDG	1478	28-08-2016	2,90,505
69	0005D	88	29-03-2009	2008-09	2202	PKR	1963	28-08-2016	2,00,000
70	74	5	18-06-2002	2002-03	2053	RNC	184	23-03-2017	7,02,35,000
71	59	20	13-12-2002	2002-03	2053	RNC	184	23-03-2017	6,58,74,392
72	25	17	26-11-2003	2003-04	2053	RNC	190	27-03-2017	3,20,59,200
73	79	147	10-01-2017	2016-17	2053	RNC	170	17-03-2017	3,68,59,417
74	79	147	10-01-2017	2016-17	2053	RNC	188	27-03-2017	1,68,40,583
75	23	01 ADVPS/2016-1	09-05-2016	2016-17	2040	PCB	1	21-04-2017	20,92,200
									2,32,04,55,192

परिशिष्ट 3.4
विस्तृत आकस्मिक विपत्तों का विलंब से प्रस्तुतीकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 63)

(राशि ₹ में)

Sl. No.	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	FIN_YR	MJH_CD	TR_CD	DC_CHLN_NO	DATE	DC_CHLN_AMT	Due Date	Delay
1	6	261	27-10-15	2015-16	5054	PCB	3400	30-05-16	40,00,00,000	25-11-15	0y 5m 25d
2	2	403	17-03-16	2015-16	5054	PCB	3400	30-05-16	8,00,00,000	25-04-16	0y 0m 25d
3	5	315	08-12-15	2015-16	5054	PCB	140	09-01-17	2,21,83,875	25-01-16	0y 11m 7d
4	5	315	08-12-15	2015-16	5054	PCB	3400	30-05-16	1,31,36,625	25-01-16	0y 3m 14d
5	2	211	28-03-16	2015-16	4403	PCB	657	15-09-16	69,97,592	25-04-16	0y 4m 14d
6	4	269	30-03-16	2015-16	4403	RNC	581	03-05-16	45,20,000	25-04-16	0y 0m 2d
7	4	269	30-03-16	2015-16	4403	RNC	713	03-06-16	28,28,550	25-04-16	0y 1m 2d
8	4	269	30-03-16	2015-16	4403	RNC	984	09-08-16	10,51,450	25-04-16	0y 3m 8d
9	5	270	30-03-16	2015-16	4403	RNC	714	03-06-16	28,29,550	25-04-16	0y 1m 2d
10	5	270	30-03-16	2015-16	4403	RNC	845	01-07-16	17,42,915	25-04-16	0y 2m 0d
11	5	270	30-03-16	2015-16	4403	RNC	982	09-08-16	2,49,883	25-04-16	0y 3m 8d
12	2	100/12-13	22-03-13	2012-13	4055	RNC	1283	17-05-16	44,66,137	25-04-13	3y 0m 16d
13	4	428/15-16	22-03-16	2015-16	4055	RNC	2026	14-03-17	41,65,000	25-04-16	0y 10m 13d
14	1	418/15-16	02-03-16	2015-16	4055	RNC	4898	24-07-16	40,69,681	25-04-16	0y 2m 23d
15	1	134/11-12	21-02-12	2011-12	4055	SGH	362	18-03-17	20,26,607	25-03-12	4y 11m 17d
16	16	34	29-03-08	2007-08	4055	RNC	83	08-05-16	18,49,000	25-04-08	8y 0m 7d
17	3	420/15-16	18-03-16	2015-16	4055	RNC	8419	21-12-16	16,60,700	25-04-16	0y 7m 20d
18	1	105/15-16	29-03-16	2015-16	4055	RNC	513	15-06-16	15,49,800	25-04-16	0y 1m 14d
19	9	165	29-03-09	2008-09	4055	SGH	242	19-02-17	10,94,166	25-04-09	7y 9m 18d
20	3	246/15-16	30-03-16	2015-16	4055	DNB	594	18-09-16	10,33,200	25-04-16	0y 4m 17d
21	8	237/14-15	30-03-15	2014-15	4055	GRH	304	17-02-17	9,82,342	25-04-15	1y 9m 16d
22	2	189/15-16	28-03-16	2015-16	4055	BKR	582	14-09-16	9,68,500	25-04-16	0y 4m 13d
23	1	47	07-10-10	2010-11	4055	BKR	580	14-09-16	9,38,760	25-11-10	5y 9m 13d
24	3	30/15-16	09-12-15	2015-16	4055	RNC	588	15-09-16	8,70,000	25-01-16	0y 7m 14d
25	6	160	28-03-09	2008-09	4055	SGH	242	19-02-17	7,51,968	25-04-09	7y 9m 18d
26	1	78/08-09	30-01-09	2008-09	4055	SGH	242	19-02-17	5,38,943	25-02-09	7y 11m 18d
27	1	111/08-09	17-03-09	2008-09	4055	SGH	242	19-02-17	4,49,871	25-04-09	7y 9m 18d
28	10	511/15-16	30-03-16	2015-16	4055	RNC	4728	17-07-16	4,30,530	25-04-16	0y 2m 16d
29	2	137/12-13	25-03-13	2012-13	4055	PKR	316	28-03-17	3,48,828	25-04-13	3y 11m 27d
30	2	124/11-12	05-03-12	2011-12	4055	BKR	2407	18-10-16	3,48,026	25-04-12	4y 5m 17d
31	8	201/12-13	30-03-13	2012-13	4055	GRH	364	28-02-17	2,69,520	25-04-13	3y 10m 27d
32	9	141	17-03-09	2008-09	4055	SDG	469	03-05-16	2,00,000	25-04-09	7y 0m 2d
33	10	164	29-03-09	2008-09	4055	SGH	242	19-02-17	1,48,224	25-04-09	7y 9m 18d
34	4	374/15-16	30-03-16	2015-16	4055	DMK	578	14-09-16	1,00,887	25-04-16	0y 4m 13d
35	8	146	29-03-09	2008-09	4055	SGH	242	19-02-17	1,00,000	25-04-09	7y 9m 18d
36	2	251/13-14	30-03-14	2013-14	4055	CTR	1594	21-11-16	78,750	25-04-14	2y 6m 20d
37	7	145	29-03-09	2008-09	4055	SGH	242	19-02-17	47,300	25-04-09	7y 9m 18d
38	148	173	30-03-12	2011-12	2403	HZB	369	24-06-16	24,61,984	25-04-12	4y 1m 23d
39	148	173	30-03-12	2011-12	2403	HZB	310	23-05-16	8,26,038	25-04-12	4y 0m 22d
40	0023A	60	15-03-09	2008-09	2403	SGH	244	23-06-16	7,71,413	25-04-09	7y 1m 22d
41	124	170	30-03-12	2011-12	2403	HZB	1	29-06-16	4,25,117	25-04-12	4y 2m 28d
42	113	299	30-03-12	2011-12	2403	PLM	316	08-09-16	2,85,755	25-04-12	4y 4m 7d
43	173	295	30-03-12	2011-12	2403	PLM	317	28-09-16	1,31,950	25-04-12	4y 5m 27d
44	315	26	21-03-02	2001-02	2225	RNC	70	27-03-17	1,50,000	25-04-02	14y 11m 26d

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

Sl. No.	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	FIN_YR	MJH_CD	TR_CD	DC_CHLN_NO	DATE	DC_CHLN_AMT	Due Date	Delay
45	318	29	21-03-02	2001-02	2225	RNC	70	27-03-17	1,00,000	25-04-02	14y 11m 26d
46	60	282	29-03-12	2011-12	2225	HZB	434	14-03-17	1,00,000	25-04-12	4y 10m 13d
47	0002D	396	06-03-07	2006-07	2225	GDD	432	27-03-17	51,000	25-04-07	9y 11m 26d
48	0003D	395	22-03-07	2006-07	2225	GDD	432	27-03-17	48,000	25-04-07	9y 11m 26d
49	57	3	11-01-10	2009-10	2202	KDM	79	16-03-17	1,00,00,000	25-02-10	7y 0m 15d
50	0004D	2	27-03-09	2008-09	2202	KDM	916	19-05-16	93,60,000	25-04-09	7y 0m 18d
51	60	4	27-03-09	2008-09	2202	KDM	919	19-05-16	58,50,000	25-04-09	7y 0m 18d
52	179	18	27-10-10	2010-11	2202	JMT	1090	13-09-16	38,67,895	25-11-10	5y 9m 12d
53	0533A	173	28-03-06	2005-06	2202	RNC	2162	30-08-16	31,61,600	25-04-06	10y 4m 29d
54	0004D	69	29-03-10	2009-10	2202	JMT	1122	18-09-16	30,03,000	25-04-10	6y 4m 17d
55	0001D	4	18-02-10	2009-10	2202	LDG	1269	17-07-16	17,78,328	25-03-10	6y 3m 16d
56	0001C	1	10-01-10	2009-10	2202	KDM	917	19-05-16	13,50,000	25-02-10	6y 2m 18d
57	0001C	3	18-02-10	2009-10	2202	LDG	1268	17-07-16	13,33,946	25-03-10	6y 3m 16d
58	0002E	11	22-03-09	2008-09	2202	LDG	1407	10-08-16	13,33,745	25-04-09	7y 3m 9d
59	0001F	179	30-03-08	2007-08	2202	LDG	1266	17-07-16	13,32,690	25-04-08	8y 2m 16d
60	0014D	5	26-03-09	2008-09	2202	RNC	654	08-08-16	11,50,000	25-04-09	7y 3m 7d
61	0001D	4	18-02-10	2009-10	2202	LDG	1834	29-09-16	8,89,014	25-03-10	6y 6m 28d
62	181	21	27-10-10	2010-11	2202	JMT	1089	13-09-16	8,80,000	25-11-10	5y 9m 12d
63	0002D	251	30-03-09	2008-09	2202	JMT	1088	13-09-16	8,24,910	25-04-09	7y 4m 12d
64	0001D	4	18-02-10	2009-10	2202	LDG	1850	04-10-16	4,44,332	25-03-10	6y 6m 3d
65	0001F	1	27-03-09	2008-09	2202	KDM	915	19-05-16	3,60,000	25-04-09	7y 0m 18d
66	0002B	49	26-03-08	2007-08	2202	SKL	278	14-09-16	3,50,877	25-04-08	8y 4m 13d
67	0002E	11	22-03-09	2008-09	2202	LDG	1478	28-08-16	2,90,505	25-04-09	7y 4m 27d
68	0005E	10	24-03-09	2008-09	2202	LDG	1460	22-08-16	2,74,502	25-04-09	7y 3m 21d
69	0002H	187	30-03-08	2007-08	2202	LDG	1277	19-07-16	2,28,000	25-04-08	8y 2m 18d
70	0005D	88	29-03-09	2008-09	2202	PKR	1963	28-08-16	2,00,000	25-04-09	7y 4m 27d
71	74	5	18-06-02	2002-03	2053	RNC	184	23-03-17	7,02,35,000	25-07-02	14y 7m 22d
72	59	20	13-12-02	2002-03	2053	RNC	184	23-03-17	6,58,74,392	25-01-03	14y 1m 22d
73	25	17	26-11-03	2003-04	2053	RNC	190	27-03-17	3,20,59,200	25-12-03	13y 3m 26d
74	23	1	09-05-16	2016-17	2040	PCB	1	21-04-17	20,92,200	30-11-16	0y 4m 20d
									78,89,02,573		

परिशिष्ट 3.5

राजस्व खण्ड के अंतर्गत वृहत कार्य
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
2403	00	103	61	कुक्कुट विकास (75:25)	0545 मुख्य कार्य	0.10
3475	00	106	08	माप एवं तौल का मानकीकरण	0545 मुख्य कार्य	1.06
कुल						1.16

परिशिष्ट 3.6

लघु-शीर्ष '800-अन्य व्यय' (10 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन
(संदर्भ: कंडिका 3.9; पृष्ठ 67)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु-शीर्ष-800 के अधीन व्यय	कॉलम 5 का कॉलम 4 से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	393.08	192.84	49.06
2	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	36.54	17.30	47.35
3	2053	जिला प्रशासन	371.30	120.17	32.36
4	6801	बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण	1,228.51	346.33	28.19
5	2801	ऊर्जा	1,702.80	325.12	19.09
6	2501	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	485.93	70.29	14.47
7	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.18	0.02	11.11
कुल			4,218.34	1,072.07	25.41

परिशिष्ट 3.7

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ (40 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन
(संदर्भ: कंडिका 3.9; पृष्ठ 67)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष-800 के अधीन प्राप्तियाँ	कॉलम 5 का कॉलम 4 से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0059	लोक निर्माण	26.09	26.09	100.00
2	0211	परिवार कल्याण	0.01	0.01	100.00
3	0404	डेयरी विकास	2.31	2.31	100.00
4	0700	वृहत सिंचाई	21.02	21.02	100.00
5	0701	मध्यम सिंचाई	57.77	57.77	100.00
6	0702	लघु सिंचाई	5.00	5.00	100.00
7	0801	ऊर्जा	6.43	6.43	100.00
8	1053	नागर विमानन	0.03	0.03	100.00
9	1456	सिविल आपूर्ति	3.90	3.90	100.00
10	6245	प्राकृतिक आपदा राहत के लिए ऋण	0.01	0.01	100.00
11	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.34	0.34	100.00
12	0406	वन एवं वन्य प्राणी	4.48	4.46	99.55
13	0215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	12.09	12.02	99.42
14	0851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	13.01	12.77	98.16
15	0070	अन्य प्रशासनिक सेवार्यें	317.52	309.32	97.42
16	0216	आवास	23.58	22.42	95.08
17	1452	पर्यटन	2.82	2.66	94.33
18	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43.17	38.14	88.35
19	1054	सड़क एवं पुल	114.63	101.12	88.21
20	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	20.53	14.81	72.14
21	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	36.79	23.96	65.13
22	0041	वाहन कर	681.52	404.93	59.42
23	0401	फसल कृषि कर्म	5.89	3.32	56.37
24	0425	कॉ-आपरेशन	2.82	1.46	51.77
25	0071	पेंशन हेतु अंशदान एवं पुनः अदायगी	2.79	1.41	50.54
26	0852	उद्योग	0.02	0.01	50.00
27	0202	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	21.10	9.30	44.08
कुल			1,425.67	1,085.02	76.11

परिशिष्ट 4.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर (X) प्राचल की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर (बृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि+वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व)/2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-भारित ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव 2048 ऋण के परिहार की कमी के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय
ऋण धारणीयता	किसी राज्य द्वारा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की क्षमता को ऋण ग्राह्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह किसी संस्था के ऋण निष्पादन की क्षमता को भी निरूपित करती है। अतः चालू प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल पर परिपक्वता की प्रचुरता तथा अतिरिक्त देनदारियों की खरीद तथा उन देनदारियों से वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी ऋण सहनशीलता कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से मेल खाता है।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थ व्यवस्था का वृद्धि पर ब्याज दर या लोक ऋण लोक उधार से अधिक हो इससे, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर हो सकता है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य हो धनात्मक हो या औसत रूप ऋणात्मक हो। दिया गया है कि दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुण दर विस्तार) ऋण स्थिरीकरण के शर्त के अनुसार अगर मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार शून्य हो तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण कुछ समय में स्थिर हो जायेगा। दूसरी तरफ अगर प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार के साथ ऋणात्मक हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और अगर घनात्मक हो तो ऋण स.रा.घ.उ. स्थिर रहेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	राज्य का बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्तियाँ, बढ़े हुए ब्याज दायित्वों और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रचुर हो तो ऋण धारणीयता को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है अगर बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्ति बढ़े हुए ब्याज भार और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने में सक्षम हो।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार ली गई निधि की सकल उपलब्धता	सकल ऋण प्राप्तियाँ से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण मोचन में किया है, उधार निधि की सकल उपलब्धता को बताता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल + पूरक) बजट अनुदानों में अंतर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारत विनियोग एवं उसके सामने प्रत्येक के विरुद्ध किया गया कुल व्यय एवं अव्ययित अनुदानों या आधिक्य प्रत्येक अनुदानों या विनियोगों के अन्तर्गत अनुदानों से किया अधिक कोई व्यय को विधान मण्डल द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।
स्वायत्त निकायों	स्वायत्त निकायों (साधारणतः पंजीकृत समितियों एवं सांविधिक निगमों) जब कभी यह किया जाता है कि नियत कार्यों को सरकारी व्यवस्था से बाहर जाकर निर्वाहन की आवश्यकता है एवं दिन प्रतिदिन सरकारी तंत्र के दखल अन्दाजी के बिना कुछ मात्रा में स्वतंत्रता एवं लोचता के साथ स्थापित किये जाते हैं।
वचन बद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन एवं अनुदान जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है, शामिल है।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अधिकरण में कोई संगठन/संस्था जिसमें गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
आकस्मिकता निधि	विधान मंडल द्वारा कानून द्वारा अग्रदाय के रूप में आकस्मिकता निधि की स्थापना की गयी है एवं समय समय पर ऐसी राशि का इसमें भुगतान किया जाता है जैसा विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित है एवं उक्त निधि विधान मंडल से स्वीकृति के लिए लंबित ऐसे व्यय अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखा जाता है।
राज्य के समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिकता देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण दाता द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व है इसके लिए गारंटियों को बढ़ाया गया है। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान बढ़े हुए गारंटियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लंबित आह्वानित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग तथा संभावित आह्वानित राशि के बराबर योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण शामिल है जिसे भारत में उदग्राहित ऋण भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।
पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग से तात्पर्य एक प्राथमिक इकाई के विनियोग से अन्य इस प्रकार के इकाई में निधियों के स्थानान्तरण से है।
अव्ययित अनुदानों का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों ध्यान में आये सभी पूर्वानुमित अव्ययित अनुदानों को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार कोई विधि द्वारा प्राधिकृत राशि अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त पाया जाता है या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जब आवश्यकता होती है या कोई नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय जिसे उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार पूरक अनुदान प्राप्त करती है।
उचन्त एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिसे प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में उसे उनकी प्रकृति या किसी अन्य कारण से तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखे के मुख्य शीर्ष 8658, उचंत लेखा, क्षेत्र में उचंत एवं विविध में रखा जाता है (आगे के मार्गदर्शन के लिए लेखे के मुख्य शीर्ष के मुख्य/लघु शीर्ष की सूचि के अंतर्गत फुटनोट संदर्भित करना चाहिए) सेवा प्राप्ति जिसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है उचंत लेखे शीर्ष में नहीं लेना चाहिए लेकिन "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत राजस्व मुख्य शीर्ष जिससे संबंधित प्रतीत होता है लेना चाहिए एवं पूर्ण विवरण की प्राप्ति के बाद अंतोगत्वा सही शीर्ष में जमा कर स्थानांतरित करना चाहिए।
लोक लेखा समिति	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य के विनियोग लेखे राज्य के वित्तीय लेखे एवं इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों जैसा इसके समक्ष उपस्थापित किया जाता है या समिति जो समीक्षा के आवश्यक समझे जाँच के लिए विधान मंडल द्वारा गठित एक समिति है।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए.ई	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
ओ. एण्ड. एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	तेरहवें वित्त आयोग
यु.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
भी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर